DENTAL COUNCIL OF INDIA

NEW DELHI



Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006

PUBLISHED AND SOLD BY DENTAL COUNCIL OF INDIA

Aiwan-E-Ghalib Marg, Kotla Road, New Delhi-110002

Price: - Rs. 250/-

असाधारण

EXTRAORDINARY भाग III खण्ड 4 PART III—Section 4 प्रापिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 12, 2006/पौष 22, 1927 No. 7] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 12, 2006/PA USA 22, 1927

भारतीय दन्त परिषद अधिसूचना नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2006

सं. डी. ई. 22-2005. -- दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 20 के साथ पठित धारा 10 क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दन्त परिषद केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, नए दन्त कालेजों की स्थापना, अध्ययन के उच्चतर पाठक्रमों का खोलना और दन्त कालेजों में प्रवेश क्षमता बढ़ाना विनियम, 1993 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए अथवा किए जाने से छूट गए कार्यों के सिवाय, एतद् द्वारा नए दन्त कालेज स्थापित करने, दन्त कालेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नए उच्चतर पाठयक्रम खोलने और दन्त कालेजों में प्रवेश क्षमता बढ़ाने से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः
 - (1) इन यिनियमों को भारतीय दन्त परिषद (नए दन्त कालेजों की स्थापना, दन्त कालेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम खोलना और प्रवेश क्षमता बढ़ाना) विनियम, 2006 कहा जाएगा।
 - (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

DEF GAZETTETH INDER EXTROCATIONARY

2. प्रयोज्यताः

2

ये विनियम शैक्षिक वर्ष 2006-07 से निर्म्नलिखित से संबंधित प्रस्तावों पर लागू होंगे:-

- (क) स्नातकपूर्व स्तर पर नया दन्त कालेज स्थापित करना;
- (ख) स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन अथवा प्रशिक्षण का नया अथवा उच्चतर पाठयक्रम शुरू करना (डिप्लोमा और डिग्री दोनों); और
- (ग) किसी दन्त कालेज में स्नातकपूर्व अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश क्षमता बढ़ानाः

परन्तु यह कि इन विनियमों के लागू होने से पूर्व जो दन्त कालेज स्थापित किए जा चुके हैं अथवा जिनकी प्रवेश क्षमता बढ़ाने की अनुमति दी जा चुकी है उन पर नए दन्त कालेजों की स्थापना, अध्ययन के उच्चतर पाठ्यक्रम खोलना और दन्त कालेजों में प्रवेश क्षमता बढ़ाना विनियम, 1998 लागू रहेंगे।

- **3. परिभाषाएं**ः
 - (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-
 - (क) "अधिनियम" से दन्त अधिनियम, 1948 (1948 का 16) अभिप्रेत है;
 - (ख) ''केन्द्रीय सरकार'' से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग अभिप्रेत है;
 - (ग) ''परिषद'' अधिनियम के अधीन स्थापित भारतीय दन्त परिषद अभिप्रेत है;
 - (घ) "दन्त कालेज" से किसी भी नाम से जाना जाने वाला कोई भी संस्था, कालेज अथवा निकाय अभिप्रेत है जिसमे कोई व्यक्ति अध्ययन अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करता है जो उसे कोई मान्यता प्राप्त दन्त अर्हता पाने के लिए अर्हक बनाएगा।
 - (2) शब्द और वाक्यांश जो इन विनियमों में इस्तेमाल किए गए हैं और परिभाषित नहीं हैं, लेकिन उक्त अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका अर्थ वही होगा जो उक्त अधिनियम में उन्हें क्रमशः दिया गया है।
- 4. नया दन्त कालेज स्थापित करने अथवा दन्त कालेज में अध्ययन या प्रशिक्षण का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करने अथवा प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए प्रस्ताव अथवा योजनाएं:-
 - (1) नया दन्त कालेज स्थापित करने अथवा दन्त कालेज में पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण का नया पाठ्यक्रम शुरू करने अथवा प्रवेश क्षमता बढ़ाने, जैसा भी मामला हो, के लिए प्रस्ताव या योजनाएं अधिनियम के अधीन अनुमति प्राप्त करने के लिए इन विनियमों के साथ अनुबद्ध क्रमशः प्रपन्न-1, प्रपत्र-2 और प्रपत्र-8 में केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे।
 - (2) उप विनियम (1) के अधीन योजना अथवा प्रस्ताव और उस पर कार्यवाही, इन विनियमों के साथ अनुबद्ध अनुसूची में दी गई समय-सारणी के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

नया दन्त कालेज स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति

5. नया दन्त कालेज स्थापित करने के लिए आवेदन-पत्र

विनियम 6 के अधीन पात्र कोई भी व्यक्ति इन विनियमों के साथ अनुबद्ध प्रपत्र-1 में योजना प्रस्तुत कुख केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने के वाट वन्त कालेज स्थापित कर सकता है।

पात्रता और अर्हता के मानदण्ड

1910 111

त्वणह ३

 उप विनियम (2) के अध्यधीन, निम्नलिखित संगठन दन्त कालेज स्थापित करने हेतु केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे; अर्थातुः

4(40):0200

(क) राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन

भएटी अही सामयत्व

- (ख) विश्वविद्यालय
- (ग) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित कोई स्वायत्त निकाय
- (घ) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) अथवा राज्यों के तदनुरूप
 विधानों के अधीन पंजीकृत कोई सोसाइटी; अथवा
- (इ) न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) अथवा वक्फ अधिनियम, 1954 (1954 का 29) के अधीन पंजीकृत कोई लोक धार्मिक, अथवा धर्मार्थ न्यास।
- (2) उप विनियम (1) के अंतर्गत आने वाले संगठन दन्त कालेज स्थापित करने के लिए अनुमति हेतु आयेदन करने के अर्हक होंगे यदि निम्नलिखित शर्ते पूरी होती हो :-
 - (क) यदि आवेदक एक स्वायत्त निकाय, पंजीकृत सोसाइटी अथवा धर्मार्थ न्यास है जो दन्त शिक्षा आवेदक के उद्देश्यों में से एक हो;
 - (ख) आवेदक के पास प्रस्तावित दन्त कालेज स्थापित करने का एक व्यवहार्य और समयबद्ध कार्यक्रम हो और भारतीय दन्त परिषद ढारा यथा निर्धारित भवनों के संबंध में अपेक्षित ढांचागत सुविधाएं हों, लड़कों और लड़कियों के लिए पर्याप्त छात्रावास सुविधाएं हों, छात्रों की प्रस्तावित प्रवेश क्षमता के अनुरूप दन्त तथा तत्संबंधी उपकरण, संकाय एवं कर्मचारी हों जिससे कि अनुमति प्रदान किए जाने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के भीतर दन्त कालेज पूर्ण हो जाए।
 - आवेदक के स्वामित्व में अथवा सरकार या सरकार के किसी प्राधिकरण से प्राप्त 30 वर्ष से अन्यून अवधि के दीर्घकालिक पट्टे वाला 5 एकड़ से अन्यून क्षेत्रफल का एक भूखण्ड हो और उस भूखण्ड पर प्रस्तावित दन्त कालेज स्थापित करने हेतु उसने निर्मित क्षेत्र उपलब्ध कराया हो तथा निर्मित क्षेत्र को, चरण-बद्ध ढंग से, निम्नलिखित अनुसार बढ़ाने का प्रस्ताव हो:-

दाखिले	प्रथम यर्ष	तृतीय वर्ष
50	30,000 वर्ग फुट	50,000 वर्ग फुट
100	60,000 वर्ग फुट	100,000 वर्ग फुट

(घ)

(ग)

खण्ड (ग) में उल्लिखित निर्मित क्षेत्र के अतिरिक्त, उसी भूखण्ड पर किसी भी समय कुल संख्या के 50 प्रतिशत की सीमा तक लड़को और लड़कियों के लिए अलग-अलग ब्लाकों में छात्रावास सुविधा और कर्मचारियों के लिए आवास उपलब्ध होना चाहिए।

(ड.) आवेदक ने प्रस्तायित दन्त कालेज प्रस्तावित जगह पर स्थापित करने क लिए अनापत्ति के बारे में संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से इन विनियमों के साथ अनुबद्ध प्रपत्र-4 में, अनिवार्यता प्रमाण पत्र और संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से परिषद के विनियमों के अनुसार पर्याप्त नैदानिक सामग्री की उपलब्धता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं।

INDIA EXTRAORDINARY

- (च) यह कि आयेदक ने प्रस्तायित दन्त कालेज के लिए किसी विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम की समूची अवधि के लिए वैद्य, इन विनियमों के साथ अनुबद्ध प्रपत्र-5 में, विश्वविद्यालय की संबद्धता की अनुमति प्राप्त कर ली है;
- (छ) आवैदक ने प्रस्तावित दन्त कालेज में छात्रों को पहले ही दाखिला नहीं दे दिया है।
- (ज) कि आयेदक अनुबंध-1 के अनुसार, प्रस्तायित दन्त कालेज के परिसर में 100 बिस्तरों से अन्यून के एक जनरल अस्पताल का स्यामी है और उसका प्रबंध करता है और उसमें प्री-क्लीनिकल, पैरा-क्लीनिकल तथा तत्संबंधी आयुर्विज्ञानों में शिक्षण सहित आवश्यक ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

अथवा

प्रस्तावित दन्तकालेज किसी सरकारी चिकित्सा कालेज अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी चिकित्सा कालेज के निकट स्थित है और उक्त चिकित्सा कालेज से इस आशय की एक वचनबद्धता प्राप्त कर ली गई है कि वह प्रस्तावित दन्त कालेज के छात्रों को चिकित्सा, शल्य-चिकित्सा तथा तत्संबंधी आयुर्विज्ञानों के विषयों में प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

अथवा

जहां प्रस्तावित दन्त चिकित्सा अस्पताल के निकट कोई चिकित्सा कालेज उपलब्ध नहीं है वहां प्रस्तावित दन्त चिकित्सा कालेज कम से कम पांच वर्ष के लिए स्वयं को किसी सरकारी जनरल अस्पताल से सम्बद्ध करेगा जिसमें कम से कम 100 बिस्तरों का प्रावधान हो और प्रस्तावित दन्त कालेज से 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थिर हो और वह सम्बद्धता तब तक बढ़ाई जा सकती हो जब तक उसका अपने ही परिसर में स्वयं का 100 बिस्तरों वाला अस्पताल नहीं हो जाता। ऐसे मामलों में आवेदक इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि प्री-क्लीनिकल, पैरा-क्लीनिकल और तत्संबंधी आयुर्विज्ञानों में शिक्षण सहित आवश्यक ढांचागत स्विधाएं प्रस्तावित दन्त कालेज की स्वयं की उपलब्ध हैं।

- (झ) प्रस्तावित दन्त कालेज में आवेदक का स्वयं का दन्त क्लीनिक जिसका प्रबंध वह स्वयं करता है और जिसमें अनुबंध-2 में निर्धारित विनिर्दिष्टताओं के अनुसार 10 से अन्यून डेन्टल चेयर्स और यूनिट्स हैं।
- (त्र)' आवेदक अनुबंध-III और IV के अनुसार शिक्षण स्टाफ तथा अवसंरचना सुविधाओं में चरणबद्ध ढंग से विस्तार करने के लिए प्रावधान कर चुका है, और

नारत का राजपत्र असाधारण

(5)

Stor IG

परिषद द्वारा यथा विनिदिष्ट अतिरिक्त उपकरण और ढाचागत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवेदक का एक व्यवहार्य और समयबद्ध विस्तार कार्यक्रम है और निम्नलिखित अनुसार निर्धारित विनिर्दिष्टताओं की डेन्टल चेयर्स और यूनिट्स के लिए विस्तृत चार्ट है:-

	उन्दल पपत	
वर्ष	50 दाखिले	100 दाखिले
प्रथम वर्ष	20	25
दितीय वर्ष	50	100
तृतीय वर्ष	. 100	200
चतुर्थ वर्ष और इन्टर्नशिप	125	250

डेन्टल चेयर्स

7. प्रपत्र-1 में आवेदन प्रस्तुत करना और आवेदन-शुल्क

- (1) विनियम 5 के उपविनियम (1) में यथानिर्देशित योजना से युक्त आवेदन-पत्र, प्रपत्र-I में, सचिव (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 को, भारतीय दन्त परिषद के नाम दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में 8.00 लाख रुपये के वापस न किए जाने योग्य आवेदन शुल्क के साथ, 1 अगस्त से 80 सितम्बर (दोनों दिन सम्मिलित) के बीच प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन शुल्क में, पंजीकरण शुल्क, तकनीकी जांच के लिए शुल्क और तीन निरीक्षणों के लिए शुल्क तथा अन्य आकस्मिक खर्च शामिल होगा। तीन निरीक्षणों के बाद, प्रत्येक अतिरिक्त निरीक्षण, यदि कोई हो, के लिए आवेदक को परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क का भुगतान परिषद को करना होगा।
- (2) अपूर्ण आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुलग्नकों तथा आवेदन-शुल्क सहित आवेदक; को वापस लौटा दिए जाएंगे।
- (3) इस विनियम के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन-पत्र, यदि हर तरह से पूर्ण पाए जाते हैं तो उनकी प्राप्ति के बाद 30 दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय दन्त परिषद को योजना के मूल्यांकन और उनकी सिफारिशों के लिए अग्रेषित किए जाएंगें
- नया दन्त कालेज स्थापित करने के लिए परिषद द्वारा योजना का मूल्यांकन
 - (1) विनियम 7 के अधीन प्रस्तुत की गई योजना का भारतीय दन्त परिषद, प्रस्तावित जगह दन्त कालेज स्थापित करने की प्रथम दृष्टया व्यवहार्यता और वाछनीयता तथा योजना के लिए आवश्यक संसाधन एवं ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवेदक की क्षमता का पता लगाने के लिए मूल्यांकन करेगी
 - (2) इस विनियम के अधीन योजना का मूल्यांकन करते समय परिषद अधिनियम की धारा 10 क की उप धारा (7) की शर्तों कं अनुसार आवेदक से आगे और सूचना अथवा स्पष्टीकरण

8.

अथवा अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकती है तथा आवश्यक समझी जाने वाली कोई भी अन्य सूचना मांग सकती है और सूचना के सत्यापन के लिए भौतिक निरीक्षण कर सकती है।

PERO HE SEC 41

THE GAZIERE OF INDIA, EXTRAORDONARS

9. परिषद की रिपोर्ट

विनियम 8 के अधीन योजना का मूल्यांकन करने के बाद तथा भौतिक निरीक्षण करने के बाद, भारतीय दन्त परिषद अनुबन्ध-V में दिए गए फार्मेट में अपनी सिफारिशों से युक्त एक रिर्पोट केन्द्रीय सरकार को भेजेगी और साथ ही निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि, जिसका प्रत्येक पृष्ठ निरिक्षकों द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित हो, और यदि दन्त कालेज से कोई उत्तर आया हो तो उसकी प्रतिलिपि और कार्यकारी समिति की सुसंगत बैठकों के कार्यवृत्त की प्रतिलिपि, भी भेजेगी। नए दन्त कालेज खोलने में संबंध के केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद को मेजी गई सभी योजनाओं के संबंध में परिषद अपनी सिफारिशें निर्धारित तारीख के भीतर भेजेगी:

परन्तु यह कि यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो परिषद् द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों पर परिषद, केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजी गई नई अथवा अतिरिक्त सूचना पर ध्यान देने के बाद, पुनः विचार करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

10. दन्त कालेज स्थापित करने के लिए अनुमति देमा

(1) केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 10 क की शर्तों के अनुसार, विनियम 7 के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन और उस पर परिषद की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, मूल प्रस्ताव पर लगाई गई ऐसी शर्तों और उसमें किए गए ऐसे परिशोधनों के अध्यधीन, जिन्हें वह आवश्यक समझती हो, दन्त कालेज स्थापित करने की अनुमति देने के लिए आशय पत्र जारी कर सकती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा औपचारिक अनुमति, निर्धारित की गई शर्तों और सुझाए गए परिशोधनों को आवेदक द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद, और किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से कार्य-निष्पादन संबंधी बैंक गारंटी, जो पाठ्यक्रम की समूची अवधि के लिए वैध हो, परिषद के पक्ष में निम्नलिखित अनुसार प्रस्तुत करने के बाद, प्रदान की जाएगी:

50 दाखिले	100 दाखिले
100 लाख रुपए	200 लाख रुपए

(2) कार्यनिष्पादन संबंधी बैंक गारंटी का प्रावधान राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन दारा स्थापित किए दन्त कालेज पर लागू नहीं होगा, बशर्ते कि वह यह वचनबद्धता देती है कि वह अपने योजनागत बजट में तब तक नियमित रूप से निधियों का प्रावधान करती रहेगी जब तक उसके द्वारा दर्शाए गए समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सुविधाएं पूर्णतया प्रदान नहीं कर दी जाती हैं।

 औपचारिक अनुमति में, दन्त कालेज स्थापित करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम को पूरा करने और प्रारंभिक क्षमता के अनुरूप वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की शर्तें शामिल होंगी।
 उप विनियम (I) के अतर्गत नया दन्त कालेज स्थापित करने की अनुमति एक वर्ष के लिए प्रदान की जाएगी और वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति का सत्यापन किए जाने, और यदि आवश्यक हो, तो कार्यनिष्पादन संबंधी बैंक गारंटी के पुनवैधिकरण की शर्तों के अधीन, वार्षिक आधार पर नवीकृत की जाएगी।

- भरतारामाः

哨部 招等相手

11. अनुमति का नवीकरण

68Y 1.

- (1) दन्त कालेज द्वारा अगले बैचों को दाखिला तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक विनियम 10 के अधीन दी गई अनुमति का केन्द्रीय सरकार द्वारा नवीकरण नहीं कर दिया जाता।
- (2) अनुमति के नवीकरण के लिए आवेदन चालू शैक्षिक वर्ष से छह महीने पहले परिषद को प्रस्तुत किया जाएगा और उसकी एक प्रतिलिपि केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी । नवीकरण के सभी मामलों में परिषद की सिफारिश प्रत्येक वर्ष 15 जून तक की जाएगी और केन्द्रीय सरकार अनुमति के नवीकरण के बारे में अन्तिम आदेश 15 जुलाई तक जारी करेगी।

परन्तु यह कि अनुमति के नवीकरण की प्रक्रिया, परिषद द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ढांचागत सुविधाओं और शिक्षण संकाय के चरणबद्ध विस्तार के पूरा हो जाने, और छात्रों के प्रथम बैच द्वारा अन्तिम वर्ष की परीक्षा दिए जाने, के बाद लागू नहीं होगी।

अभ्ययन अथवा प्रशिक्षण का नया अथवा उच्चतर पाठ्र्यक्रम शुरू करने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति

12. किसी दन्त कालेज में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण का नया अथवा उच्यतर पाठ्यक्रम (स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम सहित) शुरू करने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति हेतु आबेदन

किसी दन्त कालेज में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों अथवा प्रशिक्षण सहित दन्त विषयों में नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए दन्त कालेज, विनियम 18 के अधीन, भारतीय दन्त परिषद के सुसंगत विनियमों के ानुरूप केन्द्रीय सरकार को अनुमति प्राप्त करने के लिए, यथा अनुबन्ध प्रपत्र-2, में इस संबंध में एक योजना प्रस्तुत करके, केन्द्रीय सरकार को आवेदन करेगा।

13. अर्हता के मानदण्ड

यदि निम्नलिखित शर्ते पूरी होती हैं तो दन्त कालेज दन्त विषयों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति होगीः

(क) दन्त कालेज के छात्रों को प्रदत्त दन्त चिकित्सा स्नातक (बीडीएस) पाठ्यक्रम के संचालन के लिए मान्यता प्राप्त है और उसके द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप हैं। (ख) दन्त कालेज मैं अध्ययन अथवा प्रशिक्षण का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए वांछनीयता अथवा व्यवहार्यता के संबंद्ध में प्रमाण-पत्र कालेज द्वारा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, से प्राप्त कर लिया हैं।

HPLAS EXTRAORDINARY

(PAR. II)

- (ग) दन्त कालेज मे ऐसा पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय की अनुमति का पत्र, जो पाठ्यक्रम की समूची अवधि के लिए वैध हो, उस विश्वविद्यालय से प्राप्त कर लिया है, जिससे कालेज संबंद्ध है।
- (घ) दन्त कालेज में स्नातकपूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए निर्धारित पूरी संख्या में कर्मचारी, उपकरण और अन्य ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध है, और साथ ही, अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत, समय-समय पर यथा संशोधित, दन्त शल्य चिकित्सा में निष्णात (एमडीएस) विनियम, 1983 और स्नातकोत्तर डिप्लोमा विनियम, 1988 के अनुसार परिषद द्वारा निर्धारित और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार, वित्त के आवंटन अथवा निधियों, कर्मचारियों और अन्य ढांचागत सुविधाणं, अप्रियों के संबंध में अतिरिक्त अपेक्षाएं पूरी है।
- (इ) स्नातकोत्तर की उपाधि और स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों का चयन पूर्णतया शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

14. प्रपत्र-2 में आवेदन प्रस्तुत करना और आवेदन शुल्कः

- (1) किसी दन्त कालेज मे अध्ययन अथवा प्रशिक्षण का नया अथवा उच्चत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना से युक्त आवेदन- पत्र, विनियम 12 में यथानिर्देशित प्रपत्र-2 में, दन्त कालेज द्वारा सचिव (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्पाण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 को, भारतीय दन्त परिषद के नाम दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में प्रत्येक विशिष्टता के लिए 2.00 लाख रुपये के वापस न किए जाने योग्य आवेदन-शुल्क के साथ, भेजा जाएगा। इस शुल्क मे पंजीकरण शुल्क, तकनीकी जाँच के लिए शुल्क और दो निरीक्षणों के लिए शुल्क तथा अन्य आकस्मिक खर्च शामिल होगा।
- (2) अपूर्ण आवेदन-पत्र, उनके अनुलग्नकों तथा आवेदन-शुल्क सहित, केन्द्रीय सरकार द्वारा दन्त कालेज को लौटा दिए जाएंगे।
- (3) इस विनियम के अंतर्गत भेजा गया आवेदन यदि हर तरह से पूर्ण पाया जाता है, तो उसकी प्राप्ति के बाद 30 दिन के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद को योजना के मूल्यांकन तथा उनकी सिफारिशों के लिए अग्रेषित किया जाएगा। आवेदन-पत्रों की स्वीकार्यता को, किन्ही भी परिस्थितियों मे, अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन के अनुमोदन के रूप में नहीं समझा जाएगा।

15. नया अथवा उच्चत्तर पाठ्यक्रम आदि शुरू करने के लिए योजना का मूल्यांकन

(1) कालेज मे अध्ययन अथवा प्रशिक्षण का नया अथवा उच्चत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने की योछनीयता और प्रथम दृष्टया व्यवहार्यता तथा उक्त योजना के लिए आवश्यक संसाधन

(ALA III STOR ()

भारत का एजपत्र : असाधारण

तथा ढांचा उपलब्ध कराने में कालेज की क्षमता का पता लगाने के लिए परिषद, विनियम 14 के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन का मूल्यांकन करेगी।

- (2) ऐसी योजना का मूल्यांकन करते समय परिषद यदि आवश्यक समझती है तो आवेदक से आगे और सूचना, स्पष्टीकरण अथवा अतिरिक्त दस्तावेज, मांग सकती है तथा सूचना के सत्यापन के लिए भौतिक निरीक्षण कर सकती है।
- 16. परिषद की रिपोर्ट

विनियम 15 के अधीन योजना का मूल्यांकन करने के बाद तथा भौतिक निरीक्षण करने के बाद, परिषद अपनी सिफारिशों से युक्त एक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेजेगी और साथ ही निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि, जिसका प्रत्येक पृष्ठ निरीक्षकों द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित हो, और यदि दन्त कालेज से कोई उत्तर प्राप्त हुआ हो तो उसकी प्रतिलिपि, तथा कार्यकारी समिति की सुसंगत बैठकों के कार्यवृत्त की प्रतिलिपि भी भेजेगी। केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद की भेजी गई ऐसी सभी योजनाओं पर परिषद अपनी सिफारिशें निर्धारित तारीख तक केन्द्रीय सरकार को भेजेगी।

परन्तु यह कि यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, तो परिषद द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों पर परिषद, केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजी गई नई अथवा अतिरिक्त सूचना पर ध्यान देने के बाद, पुनर्विचार करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

17. नया अयवा उच्चत्तर पाठ्यकम आदि शुरू करने के लिए अनुमति देना

(1) केन्द्रीय सरकार, विनियम 14 के अंतर्गत प्रपत्र-2 में प्रस्तुत की गई योजना, और अधिनियम के संदर्भ में, उस पर परिषद की सिफारिशों, पर विचार करने के बाद, मूल प्रस्ताव पर लगाई गई ऐसी शर्तों और परिशोधनों के अध्यधीन, जिन्हें वह आवश्यक समझती हो, अनुमति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा औपचारिक अनुमति, निर्धारित की गई शर्तों और सुझाए गए परिशाधनों को दन्त कालेज द्वारा स्वीकार कर लिए जाने, और किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से कार्यनिष्पादन संबंधी बैंक गारंटी, जो पाठ्यक्रम की समूची अवधि के लिए वैध हो, परिषद के पक्ष में निम्नलिखित अनुसार प्रस्तुत करने के बाद, प्रदान करेगी:-

 स्नातकोत्तर उपाधि	स्नातकोत्तर डिप्लोमा
60 लाख रुपंए	40 लाख रुपए

(2)

कार्यनिष्पादन संबंधी बैंक गारंटी का प्रावधान राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित किए गए दन्त चिकित्सा कालेज पर लागू नहीं होगा, बशर्ते कि वह यह वचनबद्ध है कि वह अपने योजनागत बजट में तब तक नियमित रूप से निधियों का प्रावधान करती रहेगी जब तक उसके द्वारा दर्शाए गए समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पाठ्यक्रम सुविधाएं सम्पूर्ण प्रदान नहीं कर दी जाती।

g

(HE GAZETE OF INERA EXTRADREDNARY)

(3) अध्ययन अथवा प्रशिक्षण का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए प्रदान की गई अनुमति पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि के लिए तब तक वैद्य होगी जब तक छात्रों का प्रथम बैच अन्तिम परीक्षा में बैठता है।

दन्त कालेज में प्रवेश क्षमता बढाने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति.

18. प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए आवेदनः

स्नातकपूर्व अथवा स्नातकोत्तर (डिग्री अथवा डिप्लोमा) स्तर पर प्रवेश क्षमता (सीटों की संख्या) बढ़ाने के लिए दन्त कालेज, विनियम 19 के अध्यधीन, अनुमति प्राप्त करने के लिए, यथा अनुबद्ध प्रपत्र-9 में इस संबंध में योजना केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

19. अर्हता संबंधी मानदण्ड

यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं तो दन्त कालेज, विनियम 18 के अधीन, आवेदन करने के लिए अर्हक होगाः

- (क) जिस संबंध में प्रवेश क्षमता बढ़ाने की मांग की गई है, उस संबंध में कालेज के छात्रों को प्रदत्त दन्त अर्हता, मौजूदा प्रवेश क्षमता के साथ, मान्यता प्राप्त हैः
- (ख) कालेज द्वारा वांछित प्रवेश क्षमता के साथ-साथ मौजूदा प्रवेश क्षमता के लिए ढांचागत सुविधाओं और कर्मचारियों के संबंध में निर्धारित अपेक्षाएं पूरी कर ली है: बशर्ते कि भूमि एवं भवन के संबंध में निर्दिष्ट आयश्यकताएं 25 सितम्बर, 1993 से पहले स्थापित दंत महाविधालयों पर लागू नहीं होंगी;
- (ग) आवेदक ने दन्त कालेज में प्रवेश क्षमता बढाने के लिए वांछनीयता और व्यवहार्यता के संबंध के प्रमाण पत्र राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, से प्राप्त कर लिया है।
- (घ) दन्त कालेज में प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय की अनुमति पत्र, जो पाठ्यक्रम की समूची अवधि के लिए वैद्य हो, उस विश्वविद्यालय से प्राप्त कर लिया है जिससे कालेज संबद्ध है।
- (इ) परिषद द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार, अतिरिक्त उपकरणों और अन्य ढांचागत सुविधाओं तथा अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती के लिए वित्तीय आवंटन का प्रावधान कर लिया गया है।

20. प्रपत्र-3 में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना और आवेदन शुल्कः

(1) दन्त कालेज में प्रवेश क्षमता बढ़ाने की योजना से युक्त आवेदन-पत्र, जैसा कि विनियमन 18 में निर्दिष्ट है। दन्त कालेज द्वारा सचिव (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 को निर्धारित तारीख को अधवा उससे पहले, भारतीय दन्त परिषद के नाम दिल्ली में देय डिमांड ट्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में 2.00 लाख रुपए (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता बढाने के मामले में 2.00 लाख रुपए प्रत्येक विशिष्टता) के वापस न किए जाने योग्य आवेदन शुल्क से साथ भेजा जाएगा। इस शुल्क में पंजीकरण शुल्क, तकनीकी जांच के लिए शुल्क, दो निरीक्षणों के लिए शुल्क तथा अन्य आकस्मिक खर्च शामिल होगा। (2) अपूर्ण आवेदन-पत्र अथवा योजना स्वीकार नहीं की जाएगी और उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुलग्नकों तथा आवेदन शुल्क सहित आवेदक को लौटा दिया जाएगा।

માર્શ અને ઉત્તપ્રત્ર કાસોકાણળ

(3) इस विनियम के अंतर्गत भेजा आवेदन, यदि हर तरह से पूर्ण पाया जाता है, तो उसकी प्राप्ति के बाद 30 दिन के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद को योजना के मूल्यांकन तथा उनकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाएगा। ऐसे आवेदन अथवा योजना की स्वीकार्यता का अर्थ, किन्ही भी परिस्थितियों में, यह नहीं होगा कि अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन का अनुमोदन हो गया है।

21. प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए परिषद द्वारा योजना का मूल्यांकनः

- (1) दन्त कालेज द्वारा विनियम 20 के अधीन प्रस्तुत की गई योजना का परिषद, दन्त कालेज में प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए वांछनीयता और प्रथम दृष्टया व्यवहार्यता, और इस योजना के लिए आवश्यक संसाधन एवं ढाचा उपलब्ध कराने की दन्त कालेज की क्षमता, का पता लगाने के लिए मूल्यांकन करेगी
- (2) इस विनियम के अधीन योजना का मूल्यांकन करते समय परिषद आवेदक से आवश्यक समझी जाने वाली आगे और सूचना/स्पष्टीकरण अथवा अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकती है अथवा सूचना का सत्यापन करने के लिए भौतिक निरीक्षण कर सकती है।

22. परिषद की रिपोर्टः

1.

विनियम 21 के अधीन प्रस्तुत की गई योजना की जांच करने के बाद तथा भौतिक निरीक्षण करने के बाद, परिषद अपनी सिफारिशों से युक्त एक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेजेगी और साथ ही निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि, जिसका प्रत्येक पृष्ठ निरीक्षण द्वारा अधिप्रमाणित हो, और यदि दन्त कालेज से कोई उत्तर प्राप्त हुआ हो तो उसकी प्रति, तथा उस पर परिषद की टिप्पणी, और कार्यकारी समिति की बैठक का कार्यवृत्त, भी भेजेगी। केन्द्रीय सरकार द्वारा भैजी गई सभी योजनाओं पर परिषद अपनी सिफाशिंगे निर्धारित तारीख तक भेजेगी।

परन्तु यह कि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा अप्रेक्षित हो, तो परिषद द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों पर परिषद, केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजी गई नई अथवा अतिरिक्त सूचना पर ध्यान देने के बाद, पुनर्विचार करेगी और तत्पश्चातु अपनी रिपोर्ट भेजेगीं

23. किसी दन्त कालेज में प्रवेश क्षमता यदाने के लिए अनुमति देनाः

केन्द्रीय सरकार, विनियम 20 के अधीन प्रस्तुत आवेदन, और अधिनियम के संदर्भ में उस पर परिषद की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, मूल प्रस्ताव पर लगाई गई ऐसी शर्तो और परिशोधनों के अध्यधीन, जिन्हें वह आवश्यक समझती हो, अनुमति प्रदान करने के लिए आवश्यक पत्र जारी कर सकती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा औपचारिक अनुमति, निर्धारित की गई शर्तों और सुझाये गए परिशोधनों को आवेदन द्वारा स्वीकार कर लिए जाने, और किसी अनुसुचित वाणिज्यिक बैंक से कार्यनिष्पाद संबंधी बैंक गारंटी, जो पाठ्यक्रम की समूची अवधि के लिए वैद्य हो, 1943年,1991年1月,19月1日,19月

परिषद के पक्ष में निम्नोलेखित अनुसार प्रस्तुत करने के बाद, प्रदान की जाएगी:-

(1)	बी डी एस की 50 सीटों के लिए:	50 लाख रुपयेः
(11)	बी डी एस की सीटें 50 से बढ़ाकर 100 करने के लिए::	1 करोड़ रुपये (100 लाख रुपये)
(III)	स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिएः	3.00 लाख रुपये प्रति सीट
(IV)	स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम के लिएः	5.00 लाख रुपये प्रति सीट

- 2. कार्यनिष्पादन संबंधी गारंटी का प्रावधान राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित किए गए कालेज पर लागू नहीं होगा, बशर्ते के वह यह वचनबद्धता देती है कि वह अपने योजनागत बजट में तब तक नियमित रूप से धन का प्रावधान करती रहेगी जब तक उसके द्वारा दर्शाए गए समय तक कार्यक्रम के अनुसार सुविधाएं पूर्णतया प्रदान कर दी जाती हैं।
- 9. औपचारिक अनुमति में, बी डी एस पाठ्यक्रम के मामले में, छात्रों को प्रवेश क्षमता के अनुरूप समय-बद्ध कार्य के पूरा करने और वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की शर्ते शामिल होगी।
- 4. बी डी एस पाठ्यक्रम के मामले में प्रवेश क्षमता बढ़ाने की अनुमति एक वर्ष के लिए प्रदान की जाएगी और, वार्षिक उपलब्धि की प्राप्ति के सत्यापन और, यदि आवश्यक हो, कार्यनिष्पाद संबंधी बैंक गारंटी के पुनर्येधिकरण की शर्तों के अधीन वार्षिक आधार पर नवीकृत की जाएगी। यह कालेज का दायित्व होगा कि वह अगले शैक्षिक सत्र प्रारम्भ से छह महीने पहले ऐसे नवीकरण के लिए परिषद को आवेदन करें।

24. प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए प्रदान की गई अनुमति का मवीकरण

- (1) दन्त कालेज द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अगले बैच के लिए दाखिले तब तक नहीं दिए जाएंगी जब तक विनियम 23 के अधीन प्रदान की गई अनुमति का केन्द्रीय सरकार द्वारा नवीकरण नहीं कर दिया जाता।
- (2) अनुमति के नवीकरण के लिए आवेदन-1 अगले शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ होने से छह महीने परिषद की प्रस्तुत किया जाएगा और उसकी एक प्रतिलिपि केन्द्रीय सरकार को मेजी जाएगी।

परन्तु यह कि अनुमति के नवीकरण की प्रक्रिया, परिषद द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ढा़चागत सुविधाओं और शिक्षण कर्मचारियों के चरणबद्ध विस्तार के पूर्ण हो जाने, तथा छात्रों के प्रथम बैच द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षा दिए जाने के बाद लागू होगी।

12,

area da Muner (Manzisa)

फार्म -1 (विनियम 4 (1) देखें)

नया दन्त कालेज खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप

(दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 10 (क) के साथ पठित धारा 20 के अन्तर्गत)

आवेदक का भ्यौरा

APE (注) - **网**座 (-

(यदि आवेदन-पत्र फार्म में उपलब्ध स्थान कम है तो ए-4 आकार के अतिरिक्त कागज प्रयोग करें। प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग से कागज उपयोग करें। आवेदन-पत्र के निर्धारण कालम में सफाई से लिखें कि कितने अलग कागज लगाए गये हैं।)

- आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
- पता (संख्या, मार्ग, शहर, पिन कोड, टेलीफोन नं., फैक्स नं.) (स्पष्ट अक्षरों में)
- पंजीकृत कार्यालय का पता (संख्या, मार्ग, शहर, पिन कोड, टेलीफोन नं., टेलैक्स, टैलीफेक्स) (स्पष्ट अक्षरों में)
- डाक पता (संख्या, मार्ग, शहर, पिन कोड, टेलीफोन, टेलेक्स, टैलीफेक्स.)
- गठन (विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र, स्वायत्त निकाय, सोसाइटी, न्यास)
- मंजीकरण∕ संस्था (संख्या एवं दिनांक)
- 7. संबंद विश्वविद्यालय का नाम
- 8. उद्देश्य

- 王书韩一一句"文化",本书"文明"的时书记录中,大学文明书中的《文化"。

an en alter son de

राज्य संग्कार ाध राज्य क्षेत्र का अनुमति पत्र (संख्या, दिनाक तथा जारी करने वाला प्रधिकरण)

संबंध विश्वविद्यालय की अनुमति का पत्र
 (संख्या, दिनांक तथा विश्वविद्यालय का नाम)

11. **यॅंकर** (नाम तथा पता)

14

4

भाग-I

आवेदन-पत्र के भाग-1 (अनुबन्ध-1) में आवेदक का व्यौरा तथा प्रस्तावित स्थान पर दन्त कालेज खोलने की वांछनीयता तथा प्रथम दृष्टया व्यवहार्यता के बारे में निम्नलिखित ब्यौरा होगा।

12. आवेदक की श्रेणी

(राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/विश्वविद्यालय/सोसाइटी/न्यास)

18. दग्त कालेज तथा उससे संबद्ध अस्पताल में उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं (यदि आवश्यक हो तो अलग कागज प्रयोग करें)

14. प्रयंधकीय सामर्थ्य

सोसाइटी/न्यास की संरचना, सोसाइटी/न्यास के सदस्यों के ब्यौरे, प्रस्तावित दन्त कालेज के मुखिया अथवा परियोजना निदेशक का ब्यौरा, दन्त चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में मौजूद अस्पताल के मुखिया की अर्हता तथा अनुभव

15. वित्तीय सामर्थ्य

यदि आवेदक एक सोसाइटी/न्यास है तो पिछले तीन वर्षों का तुलन-पत्र तथा संसाधनों का व्यीरा विस्तार से दें।

भाग-II

आवेदन-पत्र के भाग-11 में नया दन्त कालेज स्थापित करने की योजना के यिस्तृत विवरण होगें तथा प्रस्तावित दन्त कालेज के संबंध में निम्नलिखित सहित, योजना विस्तृत तकनीकि एवं आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत की जाएगी।

16. प्रस्तावित दन्त कालेज का नाम तथा पता

17. बाजार सर्वेक्षण तथा पर्यावरणीय विश्लेषण

- (क) राज्य की दन्त शिक्षा नीति की रूप रेखा।
- (ख) राज्य में प्रशिक्षित दन्त कार्मिकों की उपलब्धता तथा दन्त कार्मिकों की उपलब्धता में वृद्धि की आवश्यकता।
- (ग) अन्तर विश्लेषण तथा अन्तर कैसे कम होगा।

(ध) प्रस्तावित दन्त कालेज/दन्त अस्पताल/सामान्य अस्पताल क मदर्भ में आबादी क्षेत्र।

ल्हान के नामप्रभ

(ड.) आवाह-क्षेत्र में उपलब्ध अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ निजी क्लीनिकों की संख्या।

(च) बताएं कि प्रस्तावित दन्त कालेज स्थापित होने से मौजूद आयुर्विज्ञान/ दन्त सुविधाओं में कैसी वृद्धि होगी।

18. स्थान विशिष्टता तथा बाह्य सम्पर्कों की उपलब्धता

- (क) स्थलाकृति
- (ख) भूखण्ड का आकार
- (ग) अनुमेय तल स्थान सूचक
- (घ) भू-आच्छादन
- (ड.) भवन की ऊंचाई
- (च) सड़क से दूरी
- (छ) सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता
- (ज) विद्युत आपूर्ति
- .(झ) जल आपूर्ति
- (ञ) वाहितमल कनेक्शन
- (ट) संचार सुविधाएं

19. शैक्षिक कार्यक्रम

- (क) छात्रों का प्रस्तावित वार्षिक प्रवेश
- (ख) प्रवेश के मानदण्ड
- (ग) सीटों का आरक्षण/अधिमान्य आबंटन
- (घ) अध्ययन की विभाग-वार तथा वर्ष-वार पाठ्यचार्य
- 20. जिस सरकारी मेडिकल कालेज, अस्पताल अथवा 100 बिस्तरों वाले सरकारी सामान्य अस्पताल के साथ प्रस्तावित दन्त कालेज संलग्न किया जाना है उसका व्यौरा तथा इस आशय की वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

21. कार्यात्मक कार्यक्रम

- (क) विभाग-वार तथा सेवा-वार कार्यात्मक अपेक्षाएं
- (ख) क्षेत्र संवितरण तथा कक्षवार बैठने की क्षमता

22. उपस्कर कार्यक्रम

- (क) दन्त
- (ख) आयुर्विज्ञान
- (ग) वैज्ञानिक
- (ध) संबंद्ध उपस्कर

मात्रओं की वर्ष-बार अन्सुकी एवं विभिदेशों समेल रचवजलों की कक्ष त्यर संपर्ण सुची

23. मानव शॉक्त कार्यक्रम

t6 :

निम्नांकित की विभागवार एव वर्षवार आवश्यकताएं -

- (क) अध्ययन स्टाफ (पूर्ण-कालिक)- दन्त तथा आयुर्विज्ञान
- (ख) तकनीकि स्टाफ
- (ग) प्रशासनिक स्टाफ
- (घ) सहायक स्टाफ
- (ड.) वेतन ढांचा
- 24. गैर-नैदानिक, आयुर्विज्ञान विषयों के अध्यापन की व्यवस्था का घ्यौरा जिसमें बताया जाए कि इसके लिए प्रस्तावित दन्त कालेज में स्वतंत्र व्यवस्था है अथवा आयुर्विज्ञान कालेज की सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा।

25. भवन-निर्माण कार्यक्रम

भवन-वार निर्मित क्षेत्र-

- (क) दन्त कालेज (विभाग, लेक्चर थियेटर, परीक्षा-भवन संग्राहलय आदि)
- (ख) संकाय तथा स्टाफ के लिए आवास
- (ग) विद्यार्थियों के लिए छात्रावास
- (घ) प्रशासनिक कार्यालय
- (ड.) पुस्तकालय
- (च) ऑडिटोरियम
- (छ) पशुघर
- (ज) मुर्दाघर
- (झ) सांस्कृतिक तथा मनोरंजन केन्द्र
- (ज) खेल कूद परिसर
- (ट) अन्य (सुविधा का नाम लिखें)

26. योजना और नक्शा

- (क) दन्त कालेज कॉम्पलैक्स का मास्टर प्लान
- (ख) नक्शा प्लान, अनुभाग
- (ग) दन्त कालेज और सहायक भवन की ऊंचाई और तल-वार क्षेत्र की गणनाएं।

27. . चरणबद्धीकरण एवं नियोजन

निम्नलिखित कियाकलापों की महीना-वार समय सारणी-

- (क) भवन की रूप रेखा का प्रारम्भ तथा उसे पूरा करना
- (ख) स्थानीय निकाय का अनुमोदन
- (ग) सिविल निर्माण

Also at Mas 1

- मार्ग्स के जोता के प्रतिधिका

(7-

- (घ) 🔰 ईजीनियरिंग सेवाओं तथा उपकरणों की व्यवस्था
- (ड.) कर्मचारियों की भर्ती
- (च) चरणबद्ध प्रारम्भ

28. परियोजना लागतः

- (क) भूमि की पूंजीगत लागत
- (ख) भवन
- (ग) प्लांट एवं मशीनरी
- (घ) दन्त/आयुर्विज्ञान, वैज्ञानिक तथा सम्बद्ध उपस्कर
- (इ) फर्नीचर तथा जुड़नार
- (च) प्रारम्भिक तथा पूर्व प्रचालन खर्च

29. परियोजना के विश्त योजना के सापन

- (क) आवेदक का योगदान
- (ख) अनुदान
- (ग) दान
- (घ) साम्या
- (ड.) सावधि ऋण
- (च) अन्य स्त्रोत, यदि कोई हो

30. राजस्व पूर्वानुमान

- (क) शुल्क ढांचा
- (ख) विभिन्न स्त्रोंतो से अनुमानित वार्षिक राजस्व

31. ष्यय पूर्वानुमान

- (क) परिचालन व्यय
- (ख) वित्तीय व्यय
- (ग) मूल्य हास

32. परिंचालन परिणाम

- (क) आय विवरण
- (ख) रोकड़ प्रवाह विवरण
- (ग) प्रत्याशित तुलन-पत्र
- टिप्पणीः- 4 से 8 मदों के संबंध में भारतीय दन्त परिषद के संगत मानदण्डों अर्थात् आधारभूत ढांचा/उपलब्ध संकाय तथा/अथवां जो उपलब्ध किया जाना प्रस्ताधित है उसका तुलनात्मक विवरण।

TO GAZEER OF INDIA EXTRACTIONARY

(CARENDE SEC 43

भाग-111

33. मौजूद दन्त अस्पताल का नाम तथा पता

84. वर्तमान वग्त अस्तपाल का म्यीरा जिसमें-

- (I) दन्त कुर्सियां/इकाइयां
- (II) नैदानिक तथा गैर-नैदानिक स्टाफ
- (III) आधारभूत ढांचे संबंधी सुविधाएं
- (IV) बहिरंग रोगी विभाग में विभाग-वार रोगियों की संख्या
- 35. मौजूद सामान्य अस्पताल का नाम तथा पता

36. मौजूदा सामान्य अस्पताल का ब्यौरा जिसमें-

- (क) पलंगों की संख्या
- (ख) पलंगों का वितरण
- (ग) निर्मित क्षेत्र
- (घ) नैदानिक तथा परा- नैदानिक विधाणं
- (ड.) बाहिरंग रोगी विभाग तथा विभाग-वार बहिरंग रोगी विभाग में रोगियों की संख्या
- (च) वास्तुकलात्मक तया अभिविन्यास योजना
- (छ) आयुर्विज्ञान⁄सम्बद्ध उपकरणों की सूची
- (ज) इंजीनियरिंग सेवाओं की क्षमता तथा संरूपण
- (झ) अस्पताल सेवाएं तथा प्रशासनिक सेवाएं
- (ञ) अन्य आनुषंगिक तथा सहायक सेवाएं

(श्रेणी-वार नैदानिक तथा परा-नैदानिक कर्मचारियों की संख्या)

(हस्ताक्षर) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम तद्या पदनांम)

स्थानः

दिनांकः

भारत का राजणन असाधारण

संलग्नकों की सूची

1911年1月二月2月日

1. उपविधि ज्ञापन तथा संस्था नियमावली/न्यास पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि

2. पंजीकरण/संस्थान प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि

पिछले तीन वर्षों का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षा तुलन-पत्र

4. कुल उपलब्ध भूमि के स्वामित्व के प्रगण के रूप में भूमि के अधिकार-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि

5. उपलब्ध स्थान की जोनिंग प्लान की प्रमाणित प्रतिलिपि जिसमे भू-उपयोग बताया गया हो

6. 100 पलंगो वाले अस्पताल के स्यामित्य/आयुर्विज्ञान कालेज/100 पलंगों वाले सरकरी सामान्य अस्पताल से सम्बन्धता का प्रमाण

7. संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी अनियार्यता प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि

8. मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बन्धता की सहमति की प्रमाणित प्रतिलिपि

9. आवेदक के वित्तीय रिकार्ड के संबंध में स्वतंत्र जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार/भारतीय दन्त परिषद को प्राधिकृत करने के संबंध में आवेदन के बैंकर को सम्बोधित प्राधिकरण-पत्र।

फार्म-2 (विभिवम 4 (1) देखें)

子戸 おけって ちょううしん わらえ続き

उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप (जिसमें दन्त कालेज/संस्थान/स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा शामिल है)

आवेदित पाठूयक्रम का नाम

- विशिष्टता में एमडीएस

विशिष्टता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

आवेदक का ब्योरा

(यदि आवेदन-पत्र में उपलब्ध स्थान कम है तो ए-4 आकार के अतिरिक्त कागज का उपयोग करें। प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग से कागज उपयोग करें। आवेदन-पत्र के निर्धारण कालम में सफाई से लिखें कि कितने अलग कागज लगाए गए है)

 आवेधक का मान (स्पष्ट अक्षरों में)

पता
 (स्पष्ट अक्षरों में)

 पंजीकृत कार्यालय (संख्या, मार्ग, शहर, पिन कोड़, टेलीफोन नं., टेलैक्स, टैलीफेक्स)

- डाक पता (संख्या मार्ग, शहर, पिन कोड़, टेलीफोन, टेलैक्स, टेलीफेक्स)
- गडन (विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र, स्वायत्त निकाय, सोसाइटी, न्यास)
- पंजीकृत/संस्थापना (संख्या एवं दिनांक)

7. उद्देश्य

4.

भारत का राजपत्र अयाधारण

 राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र का अनिवार्यता / अनुमति पत्र (संख्या, दिनांक तथा जारी करने वाला प्रधिकरण)

- विश्वविद्यालय का सम्बद्धता पत्र
 (संख्या, तारीख तथा विश्वविद्यालय का नाम
- 10. वैंकर (नाम तथा पता)

1970 HI ... 1875 al

हस्ताक्षर

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम तथा पदनाम)

स्थानः

विनांक

संलग्नकों की सूची

- 1. उपविधि ज्ञापन तथा संस्था नियमावली/न्यास की प्रमाणित प्रतिलिपि
- 2. पंजीकरण/संस्थापन प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि
- पिछले तीन वर्षों का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षा तुलन-पत्र
- 4. कुल उपलब्ध भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में भूमि के अधिकार-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि
- 5. उपलब्ध स्थान की जोनिंग प्लान की प्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें भू-उपयोग बताया गया है।
- 100 पलंगों वाले अस्पताल के स्वामित्व/आयुर्विज्ञान कालेज/100 पलंगों वाले सरकारी सामान्य अस्पताल से सम्बधता का प्रमाण
- 7. संबंधित राज्य सरकार⁄संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी अनिवायता प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि
- 8. मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बधता की सहमति की प्रमाणित प्रतिलिपि
- 9. आवेदक के वित्तीय रिकार्ड के संबंध में स्वतंत्र जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार/भारतीय दन्त परिषद को प्राधिकृत करने के संबंध में आवेदक के बैंकर को सम्बोधित प्राधिकरण-पत्र

2H

614-3

(विनियम 4 (1) देखें)

मान्यता प्राप्त दम्त कालेजों /संस्थानों में प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेने के आवेदन-पत्र का प्रारूप सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए आवेदन-पत्र

प्रवेश क्षमता बढ़ाने हेतु आवेदनः

- 50 सीटों तक का बीडीएस पाठ्यक्रम
- 50 से 100 सीटों तक का बीडीएस पाठ्यक्रम
- विशिष्टता में एमडीएस पाठ्यक्रम

..... विशिष्टत में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम

आवेदक का व्यौरा

(यदि आवेदन-पत्र में उपलब्ध स्थान कम है तो ए-4 आकार के अतिरिक्त कागज का उपयोग करें। प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग से कागज उपयोग करें। आवेदक-पत्र के निर्धारित कालम में सफाई से लिखें कि कितने अलग कागज लगाए गए है)

- आवेदक का माम 1. (स्पष्ट अक्षरों में)
- पता 2. (स्पष्ट अक्षरों में)
- पंजीकृत कार्यालय 8. (संख्या मार्ग, शहर, पिन कोड़, टेलीफोन नं., टेलेक्स, टैलीफैक्स)
- डाक पता (संख्या मार्ग, शहर, पिन कोड़, टेलीफोन टेलेक्स, टैलीफेक्स)
- गठन 5. (विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र, स्वायत्त निकाय, सोसाइटी, न्यास)
- पंजीकृत/संस्थापना 6. (संख्या एवं दिनांक)
- 7. उद्देश्य

 राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र का अनिवायता / अनुमति पत्र (संख्या, दिनांक तथा जारी करने वाला प्राधिकरण)

11 44

1044-012

विश्वविद्यालय का सम्बद्धता पत्र (संख्या, तारीख तथा विश्वविद्यालय का नाम

10. **वैंकर** (नाम तथा पता)

> हस्ताक्षर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम तथा पदनाम)

23

स्थानः

दिनांक

संलग्नकों की सूची

- 1. उपविधि ज्ञापन तथा संस्था नियमावली/न्यास पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि
- 2. पंजीकरण/संस्थापन प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि
- पिछले तीन वर्षों का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षा तुलन-पत्र
- 4. कुल उपलब्ध भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में भूमि के अधिकार-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि
- 5. उपलब्ध स्थान की जोनिंग प्लान की प्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें भू-उपयोग बताया गया है।
- 100 पलंगों वाले अस्पताल के स्वामित्व/आयुर्विज्ञान कालेज/100 पलंगों वाले सरकारी सामान्य अस्पताल से सम्बधता का प्रमाण
- 7. संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी अनिवार्यता प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि
- 8. मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बधता की सहमति की प्रमाणित प्रतिलिपि
- 9. आवेदक के वित्तीय रिकार्ड के संबंध में स्वतंत्र जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार/भारतीय दन्त परिषद को प्राधिकृत करने के संबंध में आवेदक के बैंकर को सम्बोधित प्राधिकरण-पत्र

经济 化乙基苯基化基 植植物养 主义主义语 机构构成分子

फार्म 4 (विनियम 6 (2) (ड) देखें)

Acres H. Sec. 4.

दिनांक.....

विषयः अनिवार्यता प्रमाण-पत्र

संख्या	••••	
·····	सरकार	
•••••	विभाग	

सेवा में

(आवेदक)

महीदय,

वांछित प्रमाण-पत्र इस प्रकार हैः

- (1) राज्य में मौजूदा दन्त संस्थाओं की संख्या।
- (2) उपलब्ध सीटों की संख्या अथवा प्रत्येक वर्ष इन संस्थाओं से सफल होकर निकल रहे दन्त शल्य चिकित्सकों की संख्या।
- (3) राज्य दन्त परिषद में पंजीकृत दन्त शल्य चिकित्सकों की संख्या।
- (4) सरकारी सेवा में लगे दन्त शल्य चिकित्सकों की संख्या।
- (5) रिक्त पड़े सरकारी पद तथा इनमें से कितने ग्रामीण-दुर्गम क्षेत्रों में है।
- (6) रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत दन्त शल्य चिकित्सकों की संख्या।
- (7) राज्य में दन्त शल्य चिकित्सकों एवं आबादी का अनुपात।
- (8) कालेज के खुलने से राज्य में अर्हक दन्त कार्मिकों की कमी की समस्या कैसे दूर होगी तथा राज्य में ऐसे दन्त कार्मिको की उपलब्धता में कैसे सुधार होगा।
- (9) जो छात्र राज्य के अधिवासी नहीं है। राज्य के संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या प्रतिबंध है, यदि कोई हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख करें।
- (10) प्रस्तावित दन्त कालेज खोलने का पूर्ण औचित्य
- (11) प्रस्तावित दन्त शल्य चिकित्सक-रोगी अनुपात जो प्राप्त किया जाना है
- (12) नया दन्त कालेज स्थापित करने की अनुमति देने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कराए गए निरीक्षण की निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न की जाए।

......(आवेदक का नाम) ने......(जगह का नाम) में दन्त कालेज स्थापित करने का प्रस्ताय किया है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात......सरकार ने आवेदक को...........(सीटों की संख्या) से नया दन्त कालेज् स्थापित करने के लिए अनिवार्यता प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्णय लिया है।

अन्त्यः अत्य अत्यप्रभः - अत्यप्रधायम

प्रमाणित किया जाता है कि-

aey 194

ក្លារង ..

(क) आवेदक के पास अपनामेंमें का अस्पताल है जोमें

अथवा

प्रस्तावित दन्त कालेज आयुर्विज्ञान कालेज के सानिध्य में स्थित है जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा आवेदक ने कथित आयुर्विज्ञान कालेज से प्रस्तावित दन्त कालेज के छात्रों को चिकित्सा-शास्त्र, शल्य-चिकित्सा तथा संबद्ध चिकित्सा विज्ञान विषयों में प्रशिक्षण की सुविधा देने का आश्वासन ले लिया है।

चूंकि प्रस्तावित दन्त कालेज के सानिध्य में कोई आयुर्विज्ञान कालेज उपलब्ध नहीं है, इसलिए जब तक प्रस्तावित दन्त कालेज के परिसर में कालेज का अपना अस्पताल नहीं बना लिया जाता, सरकारी सामान्य अस्पताल, जिसमें पलंग है तथा जो प्रस्तावित दन्त कालेज से 10 किलोमीटर, की परिधि के अन्दर स्थित है सेवर्षों का बंन्धन कर लिया है। आयेदक को इस बात का प्रमाण देना होगा कि अध्यापन, प्री-क्लीनिकल,पैरा-क्लीनिकल, परा-नैदानिक तथा सम्बद्ध आयुर्विज्ञान जैसी आधारभूत सुविधाएं प्रस्तावित दन्त कालेज की स्थयं की अपनी है।

(ख) आवेदक का स्वंय का एक दन्त क्लीनिक है जिसमें दन्त कुर्सियां है।

(ग) दन्त कालेज की स्थापना जनहित वांछनीय है।

(घ) शुरू में प्रतिदिन कम से कम 30 बहिरंग दन्त रोगी होने चाहिए।

(इ) आवेदक की विश्वसनीयता तथा वित्तीय स्थिति का सत्यापन कर लिया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यदि आवेदक भारतीय दन्त परिषद के मानदण्डों के अनुसार आधारभूत ढांचा जुटाने/उपलब्ध करने में असफल रहता है और भारतीय दन्त परिषद ढारा कालेज में नये दाखिले पर रोक लगा दी जाती है तो राज्य सरकार उन छात्रों की जिम्मेदारी ले लेगी जो केन्द्रीय सरकार की अनुमति से कालेज में दाखिल है।

> भवदीय, (सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर)

THE REPORT OF THE REPORT OF

फार्म-5 (विनियम 6(2)(च) देखें)

संख्याविश्वविद्यालय

स्थान दिनांक

सचिव, स्वास्थ्य और परिवार, कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली

सम्बन्धन

रजिस्ट्रार

अनुबन्ध-।

(विनियम 6 (2) (ज))

बीडीएस छात्रों को पढाने के लिए 100 पलंगों वाले सामान्य अस्पताल के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित पैरामीटरों के समानुरूप शर्ते

एक 100 पलंगों वाले सामान्य अस्पताल में आवश्यक रूप से बहिरंग रोगी विभाग, अतंरंग रोगी सेवाएं तथा चौबीस घण्टे आपातकालीन तथा संकटकालीन उपचर्या होनी चाहिए। अस्पताल में निम्नलिखित आयुर्विज्ञान कार्यक्रम होना चाहिए:-

- I. आयुर्विज्ञान कार्यक्रम
- (क) आयुर्विज्ञान तथा सम्बद्घ विषय
 - सामान्य तथा सम्बद्ध विषय
 - सामान्य शल्य-चिकित्सा
 - प्रसूति-विज्ञान तथा स्त्री रोग विज्ञान
 - विकलांग विज्ञान
 - संकटकालीन आयुविंज्ञान

2.6

आपातकालीन आयुविज्ञान

a.i. .

តមិរិធិនេះ

27

- ओलोरहीने स्वरयंत्र विज्ञान
- बाल चिकित्सा
- रोग विज्ञान

1409.531

45.00

- संवेदनाहरण विज्ञान
- ब्लड् बैंक तथा रक्ताधान
- सामुदायिक चिकित्सा
- अस्पताल प्रशासन

(ख) नसिंग, परा-चिकित्सा, तकनीकी तथा संबद्ध सेवाएं

- डि़क्लिटीज तथा चिकित्सा विज्ञान
- औषध तथा फार्मेसी
- ईसीजी शिल्प विज्ञान
- इमेजिंग शिल्प विज्ञान
- केन्द्रीय निर्जीवाणुक आपूर्ति विभाग

भौतिक चिकित्सा

चिकित्सा अभिलेख अनुभाग

(ग) इंजीनियरिंग तथा सम्बद्ध सेवाएं

- अग्नि सुरक्षा
- विद्युत
- वातानुकूल⁄केन्द्रीय तापन
- मेडिकल गैसेज
- प्रशीतन
- केन्द्रीय कार्यशाला
- एम्बुलैंस सेवा
- पानी की आपूर्ति
- मलजल अभिक्रिया∕निपटान तथा अपशिष्ट निपटान कक्ष

(य) प्रशासनिक तथा सहायक सेवाएं

- सामान्य प्रशासन
- उपकरण प्रबंधन
- चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता
- पी आर ओ
- पुस्तकालय
- . सुरक्षा व्यवस्था

कार्यात्मक कार्यक्रम

(क) स्थल

दन्त कालेज के लिए 5 एकड़ भूमि होनी चाहिए-ऐसा स्थल जहां बाहरी शोरगुल न हो। इसका सड़क से सम्पर्क हो तथा भवन खुला तथा हवादार हो।

S HAR BRADE THE S

(ख) श्रेणीवार पलंगों का संवितरण

(I)	सामान्य वार्ड-आयुर्विज्ञान तथा संबधित विशिष्टताएं	80 पलंग
(II)	सामान्य वार्ड-शल्य चिकित्सा तथा संबंधित विशिष्टताएं	30 प लंग
(III)	निजी वार्ड(वातानुकूलित) गैर-वातानुकूल	9 पलंग
(IV)	प्रसव यार्ड	15 पलंग
(V)	बाल चिकित्सा वार्ड	6 पंलग

धिकित्सा/शल्यक गहन सेवाओं के लिए गहन परिचर्या सेवाएं जिनके लिए 4 पलंग (पलंगों का 4 प्रतिशत) उपलब्ध हो।

चिकित्सा/शल्यक आपातकालीन स्थिति के लिए संकटकालीन परिचर्या सेवाएं जिनके लिए 6 पलंग (पलंगों का 6 प्रतिशत) उपलब्ध हो।

3. क्षेत्र संबंधी अपेक्षाएं(भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुसार)

निर्मित क्षेत्र संबंधी अपेक्षा 20 वर्ग मी.⁄पलंग है

कुल निर्मित क्षेत्र में से

40 प्रतिशत अंतरंग रोगी सेवाओं के लिए

35 प्रतिशत बहिरंग रोगी सेवाओं के लिए

25 प्रतिशत विभागों तथा सहायक सेवाओं के लिए

4. मानव जन शक्ति संबंधी अपेक्षाएं

विभिन्न विभागों में जितने स्नातकोत्तर सलाहकारों की आवश्यकता है-

चिकित्सा स्टाफ

-	सामान्य शल्य चिकित्सा	-	2
-	सामान्य चिकित्सा	-	2
-	प्रसूति एवं स्त्री रोग	-	2
-	कान, नाक, गला	-	2 ·
-	बाल चिकित्सा	•	2
-	संवेदनाहरण विज्ञानी	*	2
•	विवलांग विज्ञानी	-	2

246 H.	621 e 4 2		जारस का राजपुत्र	भेटे िम ल	•		25,
		औषध विज्ञानी			t		
		विकिरण विज्ञानी		-	1	· .	
	4 1	जीडी एम ओ		-	. 1		
	-	सामुदायिक चिकित्सा		-	t		-
•	-	अस्पताल प्रशासन		÷.	1		Ŧ
	उपचर्या	स्टाफ					
	. .	मैंट्रन		- .	1		۰.
	-	सिस्टर इंचार्ज		-	6		
	• ·	आपरेशन वियेटर नर्से		-	6		
	-	सामान्य नर्से		-	20	•	
	-	प्रसव कक्ष नर्से	,	-	4		
	स्वास्थ्य	संबंधी स्टाफ			•		
	•	महिला स्वास्थ्य सहायव	5	-	1		
	-	विस्तार शिक्षक		′ _	1		
	परा चि	कित्सा स्टाफ					
	-	लैब तकनीशियन⁄रक्त	बैंक तकनीशिय	धन-	4		
		ईसीजी तकनीशियन		-	1		
	•	भेषजज्ञ		-	4		
	-	वरिष्ठ विकिरण विज्ञान	f	-	1		
	-	सी एस एस डी		-	2		
	-	चिकित्सा अभिलेख		-	1		
	प्रशासन्	नेक कर्मचारी					
	-	मुख्य लिपिक		•	1		•
	-	रोकड़िया	•	1. i.e. 	1		
	-	आशुलिपिक		-	1	·	
	-	अवर श्रेणी लिपिक		-	2		
	-	निम्न श्रेणी लिपिक		•	4	· ·	
	सहायक	सेवाएं उपलब्ध करानी	होंगी।				•

••

.

अनुबन्ध-11 (विनियम 6(2)(2)देखें)

(Pare (IF)

दन्त कालेजों में स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर स्तर पर दन्त कुर्सियों की न्यूनतम उपेक्षा

FX (RAORDIWARY

स्नातकपूर्व स्तर

मुख्य दो श्रेणियां

- (क) परीक्षण कुर्सियां- (रोगी के परीक्षण निदान एवं विकिरण विभाग में प्रयोजनार्थ) ये कुर्सियां धातु की ठोस चद्दर से बनी होनी चाहिए जिनका वनज कम से कम 165 कि. ग्रा.(कुल वजन) हो, जिन्हें अर्ध विद्युत नियंत्रण द्वारा ऊपर/नीचे किया जा सके तथा इनकी सीट का डिजाइन शरीर की रूप रेखा के अनुरूप सुविधाजनक हो। पिछला हिस्सा यांन्त्रिक अथवा विद्युत नियंत्रित होना चाहिए तथा उस पर पीकदान, गिलास धारक तथा फिल्लर, दोहरी तीव्रता वाली जांच बत्ती तथा एक उपकरण ट्रे लगी होनी चाहिए जिसे आटाक्लेव किया जा सके।
- *1 कुर्सी के साथ एक गैस यांत्रिक स्टूल होना चाहिए। कुर्सी के सभी हिस्से उच्च गुणवत्ता वाले पेंट/ अथवा जिंक/क्रोम चढ़े होने चाहिए।
- *2 रोगी परीक्षण के समय कुर्सी की ऊचाई फर्श से कम से कम तथा अधिक से अधिक 440-810 मि. मी. के बीच होनी चाहिए।
- *3 सुन्दरता तथा इससे महत्वपूर्ण स्वच्छता की दृष्टि से पानी के प्रवेश तथा निकास की पाइपें, बिजली के केबिल तथा कम्प्रैस्ड वायु नली छिपे हुए होने चाहिए।

स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर अध्ययनों के क्लीनिकल प्रशिक्षण की अपेक्षाएं

(ख) उपचार कुर्सियां- (रोगी को हर प्रकार का उपचार प्रदान करने के लिए उपयोग की जाती है)। सभी उपचार कुर्सियां रोगी/प्रचालक के आराम तथा सुविधा हेतु पूर्णतया विद्युत चालित होनी चाहिए। पैर नियंत्रित क्रिया के अतिरिक्त ऊपर/नीचे एवं आगे/पीछे सभी प्रकार की क्रियाएं विद्युत चालित होनी चाहिए और उनमें स्विच अथवा टच पैड़ प्रक्रिया होनी चाहिए।

उपचार कुर्सियों में पीकदान, गिलास धारक/फिल्लर, उच्च तथा निम्न वेग चूषण,दोहरी तीव्रता वाले आपरेटिंग लैम्प तथा एक गतिमान धूमने वाली भुजा पर लगी आटाक्लेव की जा सकने योग्य उपकरणों की ट्रे के अतिरिक्त कम से कम 3-सीरिंज, आर कंट्रोल, एयरमोटर नियंत्रण/भाइक्रोमोटर, रकेलर तथा हल्दे चिकित्सा उपकरण (जहां कहीं आवश्यक हो दोनों उपलब्ध किए जाएं)जो एक धूमने वाली भुजा पर लगे होने चाहिए तथा एक गैस-यांत्रिक स्टूल होना चाहिए। ठोस धातु प्लेट पर बनी उपचार कुर्सी, उपचार की विभिन्न अवस्थितियों तथा प्रक्रियाओं के दौरान अत्यधिक मजबूती की दृष्टि से औसतन कम से कम 180+कि.ग्रा.की होनी चाहिए।

*1, *2, *3 वैसे ही जैसे परीक्षण कुर्सी

भारत का शत्मच - बसाधारण

1

स्नातकोत्तर स्तर

स्नातकोत्तर छात्रों के लिए, स्नातकपूर्व स्तर पर उपयोग की जाने वाली परीक्षण तथा/अथवा उपचार कुर्सियों की सभी मुख्य-मुख्य बातें होनी चाहिए और इसके अतिरिक्त प्रत्येक कुर्सी विद्युत चालित तथा उसमें प्रोग्रामेबल फीचर होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, सहायक की और एक अतिरिक्त 8-वे सीरिंज के लिए सहायक सांत्यना तथा मोटरयुक्त एच.वी.एवं एल.वी चूषण उपलब्ध किए जाने चाहिए।

स्नातकोत्तर छात्रों, को सहायक नियंत्रण पैनल का उपयोग करते हुऐ,"4 हैडेड डेंटिस्ट्री" में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

स्नातकोत्तर नैदानिक विद्युत प्रोग्रामेबल कुर्सियों (जो एक ठोस धातु की प्लेट पर बनी होनी चाहिए) का वनज कम से कम 200+कि.ग्रा. होना चाहिए तथा नैदानिक रोगियों के सहज प्रलेखन के लिए इंट्रा ओरल कैमरा तथा स्क्रीन जोड़ने की सुविधाएं होनी चाहिए।

*1,*2,*3 वैसे ही जैसे परीक्षण कुर्सी

间的 田二、朝华、司

32

अनुबन्ध-III (विनियम६(२)(ञ) देखें)

50 की प्रवेश दामता के लिए स्नातकपूर्व दन्त अध्ययन के लिए न्यूनतम स्टॉफिंग पैटर्न

प्राधानाचार्य/डीन- I (विशिष्टता विषय के अनुसार निम्न तालिका में से प्रोफेसर का एक पद कम ही हो सकता है)

प्रत्येक दन्त विभाग का अध्ययन एक प्रोफेंसर होना चाहिए

.

		प्रयम वर्ष		-	दितीय वर्ष			तृतीय क्र्		ट्रतीय व	बर्ष के आरम्भ पदों की संख्या	तृतीय वर्ष के आरम्भ से कुल पदों की सख्या
	평	रीडर	लेक्यार	Ţ.	रीडर	लेक्सा	1 ,	रीडर	सेक्चार	म्रे.	रीइर	लेक्चरर
¢	2 *	8	10	*	4	20	• 9	11	30	6	11	36
प्रास्थोडोंटिक्स, क्राउन ब्रिज एस्येंटिक डेंटिस्ट्री तया ओरल इम्प्लाटालाजी	1	1	1	F	≈.	1		61	1	***	2	t
ओरल पैयालाजी, माइकोबायोलाजी तया फार्रेसिक ओडोंटालाजी					-	• •	-	અં	,	I	2	;
कजबीटिव, एडोडौंटिक्स तया एस्थेथिक डॅंटिस्ट्री	1	7	•	-	-	•	-	6N	1	1	2	1
ओगल तथा मैक्लिफिशियल सर्जरी एवं ओरल इम्लाटालाजी	I.	t .	.1	ı	•	•		1.	1	1	1	1
पेरियोडोटालाजी एवं ओरल इम्प्लांटालाजी	1	• • •	1	۱	1	ı		1	٠	ľ	2	4
आर्थोडोटिक्स तथा डेंटोफीशफल आर्यपिडिक्स		1	1	1	1		1	1	•	-	1	1
पाडाडॉटिक्स प्रीवेंटिव डेंटिस्ट्री		•	•	J.	•	•	•	I	1	-	1	
आंग्ल मेडिसिन एवं रेडियालाजी	ı	1	1	-	1	•	1	I	1	1	I	•
जन स्वास्थ्य दन्त विज्ञान एवं निवारक दन्त विज्ञान	· 5	1	•	ı	•	•	•	1	۲	1	I	1
इंटल मेटीरियल	F	I	F		•	1	•	•	•	•	,	ł
इंटल आनाटामी/ओरल बायोलाजी	•	•	1	•	•	•	•	•	,	ł	1	I

रमने प्रधानाचार्य भी शामिल है जो, छड़ विशिष्टताओं में से भी विभागायवा हो सकता है।

一点开了我们开始出场 1083我从我们那些来。

19 er 214 - ~.

स्नातकपूर्व दन्त अध्ययन में 100 सीटों के लिए न्यून्सम स्टॉफ पैटर्न

प्रत्येक दन्त विभाग का विभागाध्यक्ष प्रोफेसर होना चाहिए

		प्रवत्त सर्व			दितीय कर्ष			रुतीय वर्ष	45-	हुत्तीच व 1	क्ष के आसम्प पर्दो की संख्या	हुतीय वर्ष के आरम्भ से कुल पदों की संख्या
	惊	đir	होकचार	伝	the second	सेतप्तर	1	fter	सेक्सर	Ъ,	रीड़र	होक्चरा
	5*	3	16	**	5	8	*9	13	40	6*	13	40
प्रास्योडोटिक्स, काछन ब्रिज एस्सेंद्रिक डेंटिस्ट्री तथा ओरल	-	2		-	8	• `		2	1	I	8	ł
इम्प्लाटा लाजी		•										
ओरल पैयालाजी, माइक्रोबायोलाजी तया फार्रेसिक ओडोंटालाजी	•	•	1	-	-	•	I	1	1	1	3	•
कंजवीटिव, एडोडोंटिक्स तया एत्थेयिक डेंटिस्ट्री	•	1	•	-	2	•	I	2	i	. .	5	,
ओरल तथा मैदिलोफेशियल सर्जरी एवं ओरल इम्लाटालाजी	1	3	1	1	. 1	•	I,	2	•	-	-	,
पेरियोडोंटालाजी एवं ओरल इम्प्लांटालाजी	•	•	,	-	•	•	1	1	• 1	I	2	•
आर्याडॉटिक्स तथा डेंटोफीशफल आर्यापेडिक्स	•	1	•	•	1	•	•	1	١	I	-	•
पोडोडोटिक्स प्रीवेटिव डेटिस्ट्री	,	•	•	•		3	•	1	3	ì	~	
ओरल मेडिसिन एवं रेडियालाजी	ł	\$	•	•	•		1	I	· 1	•	-	
जन स्वास्थ्य दन्त विज्ञान एवं निवारक दन्त विज्ञान	t.	5		•.	L	1	1	1.	١	,		
डेंटल मेटीरियल	1 b	ŧ	•	١	•	•	•	ı	1	•	'	,
डेंटल अनाटामी/ओरल बायोलाजी	I.	ſ	1	•	I	1	1	1	•		•	,

ः इसमें प्राधानाचार्य भी शामिल हैं जो छड़ विशिष्टताओं में से किसी का भी विभागायव हो सफता

particular and the

महत्व को त्रसंच । प्रायमण

83

: •

जनुबन्ध IV (विनियम 6(2)(त्र) देखें)

الإستنجيبي" الالتي.) ۵۰۰۰ می این افغان ۲۰ د مثار شان است. ۱۹۹۰ می این افغان ۲۰ د مثار شان است.	वर्ता कालणा	ન जાલુાવ	ज्ञान अध्याप	ान तटाफ		
वर्ष	विषय			प्रवेश क्षम	ता तथा पदनाम	t	
•			50 प्रवेश			100 प्रवेश	
		प्रो.	रीडर	लेक्चरर	प्रो.	रीडर	लेक्चरर
I	अनाटामी	-	1	2	<u>ن</u>	1	4
I	फीजियोलाजी	-	ĺ	2	-	1	2
I	बायोकेमिस्ट्री		1	2	-	1	2
II	फार्माकोलॉजी	-	1	2	-	1	3
· II	सामान्य पैथालॉजी	-	1 '	- 2	-	1	2
IÍ	माइक्रोबायोलॉजी	-	1	2	-	1	2
Ш	सामान्य चिकित्सा		1	2		1	3
ш	सामान्य शख्य चिकित्सा	-	1	- 2	-	1	3
III	संवेदनाहरण	-	1	1	-	1	1

EXTRE REPRARY

अनुबन्ध-٧

(विनियम 9 देखें)

भारतीय दन्त परिषद की अनुशंसा भारतीय दन्त परिषद

स्थान..... दिनांक.....

सेवा में

संख्या.....

सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निमार्ण भवन, नई दिल्ली

विषयवेष राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/सोसाइटी/न्यास का नाम) द्वारा......में (स्थान का नाम) नया दन्त कालेज खोलना ।

महोदय,

उपर्युक्त चिषय पर आपके हिनांकके पत्र संख्या......के संदर्भ में मुझे कहने का निटेश हुआ है कि

3:4

कालेज में उपलब्ध भौतिक तथा आधारभूत सुविधाओं का जायजा लेने के लिए भारतीय परिषद द्वारा नियुक्त निरीक्षणों ने कथित कालेज काको निरीक्षण किया। निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

2.

8.

1910 11 802 11

निरीक्षण रिपोर्ट तथा तत्संबंधी सभी कागजात परिषद की कार्यकारी समिति कीको हुई बैठक में रखे गए थे। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात कार्यकारी समिति ने प्रस्ताव को अनुमोदित/अननुमोदित करने का निर्णय लिया। कार्यकारी समिति के निर्णय को सामान्य निकाय ने स्वीकार कर लिया है/सामान्य निकाय समितिकीको हुई/होने वाली बैठक में रखा जाएगा। प्रस्ताव तथा निरीक्षण रिपोर्ट पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् भारतीय दन्त परिषद निम्नलिखित

- निष्कर्ष पर पहुंची है:-
- (i) कि आवेदक पात्रता तथा अर्हकता संबंधी मानदन्ड पूरे करता है।
- ((ii) कि आवेदक के पास विद्यार्थियों की प्रस्तावित संख्या क अनुरूप, भारतीय दन्त परिषद द्वारा यथानिर्धारित अपेक्षित आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं सहित, जिसमें छात्र और छात्राओं के लिए पर्याप्त होस्टल सुविधा भी शामिल है, प्रस्तावित दन्त कालेज स्थापित करने का साध्य एवं कालयाधित कार्यक्रम है ताकि अनुमति प्रदान करने की तारीख से चार वर्ष की अवधि में दन्त कालेज पूरा हो जाए।
- (iii) कि आवेदक के पास अध्यापन अस्पताल/सरकारी सामान्य अस्पताल से सम्बद्धता सहित प्रस्तावित दन्त कालेज तथा उसकी आनुषंगिक सुविधाएं स्थापित करने तथा अनुरक्षण करने की आवश्यक प्रबंधकीय तथा वित्तीय क्षमताएं है।
- (iv) कि आवेदक के पास परिषद के मानदण्दों के अनुसार संकाय तथा कर्मचारियों की भर्ती करने का साध्य एवं कालवाधिक कार्यक्रम है तथा आवेदक ने आवश्यक पद सुजित भी कर लिए है।
- (v) कि आवेदक ने प्रस्तावित कालेज में कोई छात्र दाखिल नहीं किया है।
- (vi) आधारभूत ढांचे अथवा संकाय संबंधी कमियां, यदि कोई हों, उसका उल्लेख किया जाएगा तथा उसमें बताया जाएगा कि इन कमियों को दूर किया जा सकता है अथवा नहीं।

आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता की स्थिति इस प्रकार है: प्रयम वर्ष के लिए अपेक्षाएं

> भारतीय दन्त परिषद के मानदण्डों के अनुसार

उपलब्ध

टिप्पणी

- 1. स्टाफ
- 2. भवन
- 3. उपस्कर
- 4. अन्य अपेक्षाएं

अध्युक्त सिधति को देखत हुए परिषद केन्द्रीय सरकार की अनुमति देने की सिफाश्चि करती है। यदि परिषद अनुमति देने को सिफारिश नहीं करती तो उस स्थिति में प्रस्ताय के अस्वीकार करने का आधार इस प्रकार है:

(क)

(ন্ত্র)

(ग)

प्रस्ताव मूल रूप से वापस भेजा जा रहा है।

भवदीय सचिव, भारतीय दन्त परिषद

W. L. 1947 Sec. 14

संलग्न निरीक्षण की रिपोर्ट

अनुसूची

(बिनियम 4 (2) देखें)

नया दन्त कालेज खोलने, अध्ययन का उपचार पाठ्यक्रम शरू करने तथा मान्यता प्राप्त दन्त कालेजों में प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए आवेदन-पत्रों की प्राप्ति तथ केन्द्रीय सरकार एवं भारतीय दन्त परिषद द्वारा इस पर कार्रवाई करने के लिए समय-सूची

क्र. स.	कार्यवाई का चरण	ची. ड़ी एस. पाठ्रयक्रम के लिए समय-सूची	एम.ड़ी.एस. पाठ्यक्रम के लिए समय-सूची
1	2	3	4
1	केन्द्रीय सरकार द्वारा आवेदन-पत्रों की प्राप्ति ।	किसी भी वर्ष 1 अगस्त में 80 सितम्बर तक (दोनों दियस शामिल)	किसी भी वर्ष 1 मई 30 जून तक (दोनों दिवस शामिल)
2	तकनीकि समीक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा आवेदन-पत्र भारतीय दन्त परिषद को अग्रेषित करना।	९१ अक्तूबर तक	30 जुलाई तक
3	 अगस्त से 30 सितम्बर के बीच प्राप्त आवेदनों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त दस्तावेजों, यदि कोई हों, को भारतीय दंत परिषद को अग्रेषित किया जाना। 	91मार्च तक	30 नवम्बर तक
4	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमति पत्र जारी करना।	15 जुलाई तक	31मार्च तक

भारत का राजपत्र असाधारण

CHIPPE THE SHOPE IT

टिप्पणीः (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों के संबंध में यदि कोई स्पष्टीकरण मांगा जाता है तो परिषद यदि आवश्यक हो, कालेज का निरीक्षण करने के बाद ऐसा स्पष्टीकरण तुरन्त भेजेगी।

(2) आवेदक-पत्रों के किसी वर्ग अथवा श्रेणी के संबंध में केन्द्रीय सरकार उक्त समय-सूची में लिखित कारण बताते हुए संशोधन कर सकती है।

> एस.एस. अरोड़ा प्रभारी सचिव (विज्ञापन/III/(IV)/आसाधारण/98/2005)

37-

DENTAL COUNCIL OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2006

No. DF-22-2005. In exercise of the powers conferred by section 10A read with section 20 of the Dentists Act, 1948(16 of 1948), the Council of India with previous approval of the central Government, in supersession of the Establishment of new Dental Colleges, opening of higher courses of study and increase of admission capacity in dental makes the following regulations relating to establishment of new dental colleges, opening of new or higher course of study or training and increase of admission capacity in dental colleges, namely:-

1. Short title and commencement:

- (1) These regulations may be called the Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges. Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Applicability

These regulations shall be applicable to the proposals relating to the following from the academic year 2006-07;

- (a) establishment of a new dental college at under graduate level;
- (b) introduction of a new or higher course of study of training at the post graduate level (diploma and degree both); and
- (c) increase of submission capacity in a dental college at the under graduate or post graduate level.

DENTAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2006.

No.DE-22-2005 - In exercise of the powers conferred by section 10A read with section 20 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Dental Council of India with the previous approval of the Central Government, in supersession of the Establishment of new Dental Colleges, opening of higher courses of study and increase of admission capacity in dental colleges Regulations 1993, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby makes the following regulations relating to establishment of new dental colleges, opening of new or higher course of study or training and increase of admission capacity in dental colleges, namely:-

1. Short title and commencement:-

- (1) These regulations may be called the Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Applicability.-

These regulations shall be applicable to the proposals relating to the following from the academic year 2006-07:

- (a) establishment of a new dental college at the under-graduate level;
- (b) introduction of a new or higher course of study or training at the post-graduate level (diploma and degree both);and
- (c) increase of admission capacity in a dental college at the under-graduate or post-graduate level

THE GARLESS HE INDUX STATEMENTS IN

Provided that the denial colleges established or perioded to increase the admission capacity at the under-graduate level before the commencement of these regulations will continue to be governed by the Establishment of new Dental Colleges, opening of higher courses of study and increase of admission capacity in dental colleges Regulations, 1993.

- 3. Definitions:-
 - (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -
 - (a) "Act" means the Dentists Act, 1948 (16 of 1948);
 - (b) "Central Government" means Department of Health and Family Welfare in the Ministry of Health and Family Welfare;
 - (c) "Council" means the Dental Council of India established under the Act;
 - (d) "dental college" means any institution, college or a body by whatever name called, in which a person may undergo a course of study or training which will qualify him for the award of any recognised dental qualification.
 - (2) Words and phrases used in these regulations and not defined but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.
- 4. Proposals or schemes for establishing a new dental college, or opening a new or higher course of study or training or increasing the admission capacity, in the dental college.-
 - (1) The proposals or schemes for establishing a new dental college, or opening a new or higher course of study or training or increasing the admission capacity, in the dental college, as the case may be, shall be made or submitted to the Central Government for obtaining its permission under the Act in the Form. I, Form 2 and Form 3, respectively, annexed to these regulations.
 - (2) The scheme or the proposal under sub-regulation (1) and, processing thereof shall be submitted within the time- schedule as provided in the Schedule annexed to these regulations.

PERMISSION OF THE CENTRAL GOVERNMENT TO ESTABLISH A NEW DENTAL COLLEGE

5. Application for the establishment of a dental college.-

Any person eligible under regulation 6 may establish a dental college after obtaining prior permission of the Central Government by submitting a scheme in Form I as annexed to these regulations.

.

6. Eligibility and qualifying criteria.

125. 411

5. 11

(1) The following organizations, subject to sub-regulation (2), shall be eligible to apply for permission of the Central Government to set up a dental college, namely:-

THE GAZET IF OF ORTEX TATEAORDINE'S

- (a) a State Government or a Union territory administration;
- (b) a University;
- (c) an autonomous body promoted by the Central or a State Government;
- (d) a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or corresponding enactments in States; or
- (e) a public religious or charitable trust registered under the Trust Act, 1882 (2 of 1882) or the Wakf Act, 1954 (29 of 1954).

(2) The organizations under sub-regulation (1) shall qualify to apply for permission to establish a dental college if the following conditions are fulfilled:-

(a) dental education is one of the objectives of the applicant in case the applicant is an autonomous body, registered society or charitable trust;

(b) the applicant has a feasible and time-bound programme to set up the proposed Dental College along with the required infrastructure facilities in respect of buildings including adequate hostel facilities for boys and girls as prescribed by the Dental Council of India, dental and allied equipment, faculty and staff commensurate with the proposed intake of students, so as to complete the Dental College within a period of four years from the date of grant of permission;

(c) the applicant owns or holds by way of long term lease for a period of not less than 30 years obtained from Government or an authority of the Government, a plot of land measuring not less than 5 acres and has provided on the same plot of land, constructed area to set up the proposed dental college and proposes to increase the constructed area, in a phased manner, as given below:

.	Admissions	1 st year	3 rd year
	50	30,000 sq, ft.	50,000 sq. ft.
į	100	60,000 sq. ft.	100,000 sq. ft.

(d) hostel accommodation in separate blocks for boys and girls and accommodation for staff, to the extent of 50 % of the strength, should be available at any given time in the same plot of land in addition to the built-up area mentioned in clause(c);

(e) an Essentiality Certificate in Form 4, as annexed, regarding No Objection of the State Government or Union territory administration for the establishment of the proposed dental college at the proposed site and availability of adequate clinical material as per the Council's regulations have been obtained by the applicant from the concerned State Government or Union territory administration;

REPORTS FOR COMPANY AND ADDRESS OF A DESCRIPTION AND ADDRESS OF A DESCRIPTION ADDRES A DESCRIPTION ADDRESS OF ADDRESS ADDRESS ADDRESS OF A DESCRIPTION ADDRESS OF

4 :

(f) that provides the context of Athibattic to botto S as attracted which the the entire duration of the context for the proposed Dental College has been obtained by the applicant from a University;

(g) the applicant has not already admitted students to the proposed dentalcollege;

(h) the applicant owns and manages a General Hospital of not less than 100 beds as per Annexure 1 with necessary infrastructure facilities including teaching pre-clinical, para-clinical and allied medical sciences in the campus of the proposed dental college,

or

the proposed dental college is located in the proximity of a Government Medical College or a Medical College recognised by the Medical Council of India and an undertaking of the said Medical College to the effect that it would facilitate training to the students of the proposed dental college in the subjects of Medicine, Surgery and Allied Medical Sciences has been obtained,

or

where no Medical College is available in the proximity of the proposed dental college, the proposed dental college gets itself tied up at least for 5 years with a Government General Hospital having a provision of at least 100 beds and located within a radius of 10 K.M. of the proposed dental college and the tieup is extendable till it has its own 100 bedded hospital in the same premises. In such cases, the applicant shall produce evidence that necessary infrastructure facilities including teaching pre-clinical, para-clinical and allied medical sciences are owned by the proposed dental college itself,

(i) the applicant owns and manages a dental clinic in the proposed dental college with not less than 10 dental chairs and units as per the specifications prescribed in Annexure II;

(j) applicant has made provisions for expansion of teaching staff and infrastructure facilities in a phased manner as per Annexure III and IV; and

(k) the applicant has a feasible and time bound expansion programme to provide additional equipments and infrastructure facilities, as specified by the Council and detailed chart for Dental Chairs/Units of the prescribed specifications, as given below:

Year	50	100
	Admissions	Admissions
1 st year	. 20	25
2 nd year	50	100
3 rd year	100	200
4 th year and	125	250
Internship		

Dental chairs

7. Submission of the application in Form I and the application Fee -

(1) The application in Form I containing the scheme, as referred to in subregulation (1) of regulation 5, shall be submitted to the Secretary (Health), Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi – 110011 between 1st August to 30th September (both days inclusive) of each year, alongwith a non-refundable application fee of Rs. 3.00 lakh in the form of a Demand Draft/Pay Order in favour of Dental Council of India, payable at Delhi. The application fee shall include registration fee, fee for technical scrutiny and fee for three inspections and other contingent expenditure. The applicant has to pay to the Council inspection fee prescribed by the Council from time to time for each additional inspection, if any, after three inspections.

(2) Incomplete applications will not be accepted and will be returned by the Central Government to the applicant, alongwith enclosures and application fee.

(3) Applications submitted under this regulation, if found complete in all respects, will be forwarded by the Central Government to the Dental Council of India within 30 days after the receipts of the same for evaluation of the scheme and its recommendations. Acceptance of applications will, under no circumstances, be treated as approval of the application for grant of permission.

8. Evaluation of the Scheme to establish a new dental college by the Council.-

(1) The Dental Council of India will evaluate the scheme submitted under regulation 7 to ascertain the desirability and prima-facie feasibility of setting up the dental college at the proposed location and the capability of the applicant to provide the necessary resources and infrastructure for the scheme.

(2) The Council, while evaluating the scheme under this regulation, may seek further information or clarification or additional documents from the applicant in terms of sub-section (7) of section 10A of Act and any other information as it considers necessary, and may carry out physical inspection to verify the information.

9. Report of the Council .-

After evaluation of the scheme under regulation 8 and after conducting the physical inspection, the Dental Council of India shall send a report containing its recommendations to the Central Government in the format at Annexure V along with a copy of the inspection report duly authenticated on each page by the inspectors, reply, if any, from the dental college and the minutes of the relevant Executive Committee meeting. The Council shall furnish its recommendations by the stipulated date on all schemes relating to opening of new dental colleges referred to it by the Central Government:

Provided that upon being so required by the Central Government, the Council shall re-consider its recommendations contained in the report furnished by it after

CONTRACTOR AND CONTRACTORS FOR

notice into an arm of the older and information as any he forwarded to the terms of the context of the context

10 Grant of Permission to establish a dental college.

(1) The Central Government may, after considering the application submitted under regulation 7 in terms of section 10A of the Act and the recommendations of the Council thereon, issue a Letter of Intent to grant permission to establish a dental college subject to such conditions or modifications in the original proposal as it considers necessary. The formal permission will be granted by the Central Government after the conditions stipulated and the modifications suggested are accepted by the applicant and a performance bank guarantee from a Scheduled commercial bank valid for the entire duration of the course in favour of the Council is furnished as follows:

50 admissions	100 admissions
Rs.100 lakh	Rs.200 lakh

- (2) The provisions regarding performance bank guarantee will not apply to a dental college established by a State Governments or a Union territory Administration provided that it gives an undertaking to provide funds in its Plan budget regularly till facilities are fully provided as per the time bound programme indicated by it.
- (3) The formal permission will include conditions for fulfilment of a time-bound programme and achieving of annual targets commensurate with initial the intake of students for the establishment of a dental college.
- (4) The permission under sub-regulation (1) to establish a new dental college will be granted for a period of one year and will be renewed on yearly basis subject to verification of the achievement of annual targets and revalidation, if necessary, of the performance bank guarantees.

11. Renewal of Permission.-

- (1) Admissions of the next batches shall not be made by the dental college unless the permission granted under regulation 10 has been renewed by the Central Government.
- (2) the application for renewal of permission shall be submitted to the Council, with a copy to the Central Government, six months prior to the expiry of the current academic session. The recommendation of the Council in all cases of renewal shall be made by 15th June and the Central Government shall issue final orders regarding renewal of permission by 15th July of each year:

Provided that the process of renewal of permission will not be applicable after the completion of phased expansion of the infrastructure facilities and teaching faculty as per norms laid down by the Council and the first batch of students take the final year examinations.

THE CAREFORD AND A REAL RECEIPTION OF THE

PERMISSION OF THE CENTRAL GOVERNMENT FOR STARTING NEW OR HIGHER COURSES OF STUDY OR TRAINING

12. Application for permission of the Central Government for starting a new or higher Course (including Post-graduate Diploma courses) or training in a Dental College.-

For starting a new or higher course or training in dental subjects including Post-graduate Diploma courses or training in a Dental College, a dental college, subject to regulation 13, shall apply to the Central Government by submitting a scheme in this regard in Form 2, as annexed, for obtaining its permission in conformity with the relevant Regulations of the Dental Council of India.

13 Qualifying Criteria.-

A dental college shall qualify for starting a new or higher course of study or training in dental subjects, the following conditions are fulfilled:-

- (a) the dental qualification granted to the students of the dental college is recognised for running BDS course and conforms to the norms laid down by it;
- (b) the certificate regarding desirability and feasibility for starting a new or higher course of study or training at the dental college has been obtained by the college from the State Government or the Union territory administration, as the case may be;

(c) letter of University's permission, valid for the entire duration of the course, for starting such course or training at the dental college has been obtained by it from the University to which it is affiliated;

(d) the dental college has the full complement of staff, equipments and other infrastructure facilities prescribed for under-graduate training programme and also fulfils additional requirements in respect of funds or allocation of finances, staff and other infrastructure facilities as per the norms prescribed by the Counc.. and approved by the Central Government under Section 20 of the Act in the M.D.S. Regulations, 1983 and P.G. Diploma Regulations, 1983, as amended from time to time.

(e) selection of candidates for post-graduate degree and post-graduate diploma courses will be made strictly on the basis of academic merit.

14. Submission of the application in Form 2 and the application fee.-

(1) The application containing the scheme for starting a new or higher course of study or training in a dental college shall be submitted by the dental college in the Form 2, as referred to in regulation 12, to the Secretary (Health), Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi - 110011, alongwith a non-

HIE ASEDS OF INDIA EN DRACHE BORKS

refundably application fees of Rs. 200 lakh for each speciality to the form of a Demand Draft/Pay Order in favour of Dental Council of India, payable at Delhi. The fee shall include registration fee, fee for technical scrutiny and fee for two inspections and other contingent expenditure

(2) Incomplete applications will be returned by the Central Government to the dental college, alongwith enclosures and application fee.

(3) The application submitted under this regulation, if found complete in all respects, will be forwarded by the Central Government to the Council within 30 days of the receipt of such application for evaluation and recommendations. Acceptance of applications will, under no circumstances, be treated as approval of the application for grant of permission.

15. Evaluation of the scheme for opening new or higher course, etc..-

- (1) The Council will evaluate the scheme submitted under regulation 14 to ascertain the desirability and *prima-facte* feasibility of starting a new or higher course of study or training at the college and its capability to provide the necessary resources and infrastructure for the said scheme.
- (2) The Council while evaluating such scheme may seek further information/clarification or additional documents from the applicant as it consider necessary and may carry out physical inspection to verify the information.

16. Report of the Council.-

Sec. 14

After evaluation of the scheme under regulation 15 and after conducting the physical inspection, the Council shall send a report containing its recommendations to the Central Government along with a copy of the inspection report duly authenticated on each page by the inspectors; reply, if any, from the dental college and the minutes of the relevant Executive Committee meeting. The Council shall furnish its recommendations by the stipulated date on all such schemes referred to it by the Central Government:

Provided that upon being so required by the Central Government, the Council shall re-consider its recommendations contained in the report furnished by it after taking into account new or additional information as may be forwarded by the Central Government and submit its report.

17. Grant of Permission for starting a new or higher course, etc..-

(1) The Central Government may, after considering the scheme submitted in Form 2 under regulation 14 and the recommendations of the Council thereon, with reference to the Act, issue a Letter of Intent to grant permission subject to such conditions or modifications as it may consider necessary. The formal permission will be granted by the Central Government after the conditions stipulated and the modifications suggested are accepted by the dental college and the performance bank guarantee valid for the entire duration of such course from a Scheduled Commercial bank in favour of the Council is furnished as given below;

g

网络拉马马马斯拉马马斯 的复数形式 医无耻的 动物的现在分词

Postgraduate	Postgraduate
degree	diploma
Rs.60 lakh	Rs.40 lakh

(2) The provisions regarding performance bank guarantee will not apply to a dental college established by a State Governments or a Union territory administration provided that it gives an undertaking to provide funds in its Plan budget regularly till facilities are fully provided as per the time bound programme indicated by it.

(3) The permission granted under this regulation for starting a new or higher course of study or training will be valid for the entire duration of the course till the first batch of students appears in the final examination.

PERMISSION OF THE CENTRAL GOVERNMENT TO INCREASE ADMISSION CAPACITY IN THE DENTAL COLLEGE

18. Application for increasing the admission capacity.-.-

For increasing the admission capacity (number of seats) at the under-graduate or post-graduate level (degree or diploma), a dental college shall, subject to regulation 19, submit to the Central Government the scheme in this regard in Form 3, as annexed, for obtaining its permission.

19. Qualifying Criteria.-

A dental college shall qualify to apply under regulation 18, if the following conditions are fulfilled:

- (a) the dental qualification granted to the students of the college and in respect of which the capacity is sought to be increased is recognised with the existing admission capacity;
- (b) the requirements prescribed in respect of infrastructure facilities including staff are fulfilled by the College for the existing admission capacity as well as for the admission capacity desired:

Provided that the requirements prescribed in respect of land and building shall not apply to the dental colleges established before the 25th day of September, 1993;

(c) the certificate regarding feasibility and desirability for increasing admission capacity at the dental college has been obtained by the applicant from the State Government or the Union territory administration, as the case may be;

in the second of

ð

THE GALL THE OF INDIA EXTRADREDISARY

- (d) letter of University's permission for increasing admission capacity at the dental college, valid for the entire duration of course, has been obtained by the applicant from the university to which it is affiliated; and
- (e) the provision for financial allocation for additional equipments and other infrastructural facilities and for recruitment of additional staff as per the norms prescribed by the Council in this regard are made.

20. Submission of the application in Form 3 and the application fee.-

- (1) the application containing the scheme for increasing admission capacity in the dental college, as referred to in regulation 18, shall be submitted by the dental college to the Secretary (Health), Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi-110011 on or before the prescribed date along with a non-refundable application fee of Rs.2.00 lakh (Rs.2.00 lakh per speciality in case of increase of admission capacity in postgraduate courses) in the form of Demand Draft/Pay Order in favour of Dental Council of India, payable at Delhi. The fee shall include registration fee for technical scrutiny and fee for two inspections and contingent expenditure.
- (2) Incomplete application or scheme will not be accepted and will be returned by the Central Government to the applicant along with enclosures and processing fee.
- (3) Application submitted under this regulation, if found complete in all respects, will be forwarded to the Council within 30 days of the receipt of such application for evaluation and recommendations. Acceptance of such application or scheme will, under no circumstances, mean approval of the application for grant of permission.

21. Evaluation of scheme for increasing admission capacity by the Council.-

(1) The Council will evaluate the scheme submitted by the dental college under regulation 20 to ascertain the desirability and *prima-facie* feasibility for increasing the admission capacity at the dental college and the capability of the dental college to provide the necessary resources and infrastructure for the scheme;

(2) The Council, while evaluating the scheme under this regulation, may seek further information/clarification or additional documents from the applicant as considered necessary or may carry out physical inspection to verify the information.

22. Report of the Council .-

11. 11. 80. 41

After examining the scheme submitted under regulation 21 and after conducting the physical inspection, the Council shall send a report containing its recommendations to the Central Government along with duly authenticated copy of the inspection report; reply, if any, received from the applicant along with comments of the Council thereon and the minutes of the Executive Committee

\$148 x (xe1)141 (3) \$191114 (4X1KAF2REB)4(3)33-

meeting. The Council shall formsh its recommendations by the simulated date on all schemes referred to it by the Central Government:

Provided that upon being so required by the Central Government, the Council shall re-consider its recommendations contained in the report furnished by it after taking into account new or additional information as may be forwarded by the Central Government, and, thereafter, submit its report.

23. Grant of permission for increasing the admission capacity in a dental college.-

(1) The Central Government may, after considering the application submitted under regulation 20 and the recommendations of the Council thereon with reference to the Act, issue a Letter of Intent to grant permission subject to conditions or modifications in the original proposal as it may consider necessary. The formal permission will be granted by the Central Government after the conditions stipulated and the modifications suggested are accepted by the applicant and a performance bank guarantee from a Scheduled commercial bank valid for the entire duration of the course in favour of the Council is furnished as given below;

- (i) For increase of BDS seats up to 50: Rs.50 Lakh
- (ii) For increase of BDS seats from 50 to 100: Rs.1 Crore (100 Lakhs).
- (iii) For P.G. Diploma: Rs.3 Lakh per seat.
- (iv) For P.G. Degree : Rs.5 Lakh per seat:

(2) Provisions regarding performance bank guarantee will not apply to a dental college established by a State Governments or a Union territory Administration provided that it gives an undertaking to provide funds in its Plan budget regularly till facilities are fully provided as per the time bound programme indicated by it.

(3) The formal permission will include conditions for fulfilment of a timebound programme and achieving of annual targets in case of BDS course commensurate with the admission capacity of students.

(4) In the case of BDS course, the above permission to increase the admission capacity will be granted for a period of one year and will be renewed on yearly basis subject to verification of the achievement of annual targets and revalidation, if necessary, of the performance bank guarantee. It shall be the responsibility of the dental college to apply to the Council for such renewal six months before the beginning of the next academic session.

24. Renewal o the permission granted for increasing capacity.-

- (1) Admissions of the next batches in the under-gratudate course shall not be made by the dental college unless the permission granted under regulation 23 has been renewed by the Central Government.
- (2) The application for renewal of permission shall be submitted to the Council, with

化橡胶 化合金 计分子 化合金化合金化合金化合金化合金化合金化合金

is and a developmental Granden of an manth practicate conservation a monomic reactions existent

Provided that the process of renewal of permission will not be applicable after the completion of phased expansion of the infrastructure facilities and teaching faculty as per norms laid down by the Council and the first batch of students take the final year examinations.

na cash na ar tan ing ing

FORM-) [See Regulation (1)]

FORMAT OF APPLICATION FOR PERMISSION OF THE CENTRAL GOVT. TO ESTABLISH A NEW DENTAL COLLEGE.

(Under Sec. 10A read with sec. 20 of the Dentists Act, 1948.

PARTICULARS OF THE APPLICANT:

(use additional sheets of the A4 size, if the space provided in the application form is not adequate. Use separate sheet(s) a for each question. Also specify clearly in the prescribed form of additional sheet(s) provided for the separate question).

- 1. NAME OF THE APPLICANT (In Block Letters)
- 2. ADDRESS (NO., STREET, CITY, PINCODE, TELEPHONE NOS., FAX NO.) (In Block Letters)
- 3. ADDRESS OF REGISTERED OFFICE (No., Street, City, Pin code, Telephone, Telex, Telfax)
- 4. MAILING ADDRESS (No., Street, City, Pin code, Telephone, Telex, Telfax)
- 5. CONSTITUTION (University/State Govt./Union Territories Autonomous Body, Society, Trust)
- 6. **REGISTRATION/INCORPORATION** (Number & Date)
- 7. NAME OF AFFILATING UNIVERSITY
- 8. OBJECTIVES
- 9. STATE GOVT. UNION TERRITORY PERMISSION LETTER (Number, Date and Issuing, Authority)

THE CONFLECT IS INFORMED A TRACTOPICARY.

16 LETTER OF PERMISSION OF THE UNIVERSITY AFFILIATION (Number, Date and Name of University)

11. Bankers (Name & Address)

11. 117 4. 11

PART-I

Part-I of the application (Annexure -1) will contain the following particulars about the applicant and information regarding the desirability and prima-facie feasibility of setting up a Dental College at the proposed location:

12. CATEGORY OF APPLICANT (STATE GOVERNMENT/UNION TERRITORY/ UNIVERSITY/SOCIETY/TRUST)

13. BASIC INFRASTRUCTURAL FACILITIES AVAILABLE FOR DENTAL COLLEGE AND ATTACHED HOSPITAL

(PLEASE ADD A SEPARATE SHEET IF NECESSARY)

14. MANAGERIAL CAPABILITY

COMPOSITION OF THE SOCIETY/TRUST PARTICULARS OF MEMBERS OF THE SOCIETY/TRUST; HEAD OR PROJECT DIRECTOR OF THE PROPOSED DENTAL COLLEGE, HEAD OF THE EXISTING HOSPITAL THEIR QUALIFICATION AND EXPERIENCE IN THE FIELD OF DENTAL EDUCATION.

15. FINANCIAL CAPABILITY

BALANCE SHEET FOR THE LAST 3 YEARS TO BE PROVIDED IF THE APPLICANT IS A SOCIETY/TRUST. DETAILS OF THE RESOURCES TO BE GIVEN IN DETAIL.

<u>PART – II</u>

Part – II of the application will contain detailed description of the scheme to set up the new Dental College and will be submitted in the form of a detailed Techno-Economic Feasibility Report about the proposed Dental College, complete with the following:

16. NAME AND ADDRESS OF THE PROPOSED DENTAL COLLEGE

17 MARKET SURVEY AND ENVIRONMENTAL ANALYSIS

- (a) Give the main features of the State Denial Education Policy.
- (b) Availability of trained dental manpower in the state and need for increase in the provision of Dental manpower.
- (c) Gap analysis if any and how the gap will be reduced.
- (d) Catchment area in terms of patients for the proposed Dental College/Dental Hospital/General Hospital.
- (e) No. of hospitals/primary health centres/private clinics available in the catchment area.
- (f) State how will the existing Medical/Dental facilities get augmented by the establishment of proposed dental college.

18. SITE CHARACTERISTICS AND AVAILABILITY OF EXTERNAL LINKAGES

- (a) Topography
- (b) Plot size

 $(0) \in (0)$

- (c) Permissible floor space index
- (d) Ground coverage
- (c) Building height
- (f) Road access
- (g) Availability of public transport
- (h) Electric supply
- (i) Water supply
- (j) Sewage connection
- (k) Communication facilities

19. EDUCATIONAL PROGRAMME

- (a) Proposed annual in-take of students
- (b) Admission criteria
- (c) Reservation/Preferential allocation of seats
- (d) Department wise and year wise curriculum of studies.

HER-OCELETE INDA EXTRACTOR OF

in the details about the Govt Medical College, Hospital or 100 beded Govt. General Hospital to which the proposed Dental College is to be attached and a certificate of commitment to that effect is to be enclosed.

21. FUNCTIONAL PROGRAMME

(a) Department wise and service wise functional requirements

(b) Area distribution and room wise seating capacity

22. EQUIPMENT PROGRAMME

Room wise list of Equipments complete with year wise schedule of quantities and specifications –

(a) Dental

11. . . .

- (b) Medical
- (c) Scientific
- (d) Allied Equipments

23. MAN POWER PROGRAMME

Department wise and year wise requirements of -

- (a) Teaching staff (full-time) Dental & Medical
- (b) Technical staff
- (c) Administrative staff
- (d) Ancillary staff
- (e) Salary structure
- 24. The details of arrangements for teaching of non-clinical, medical subjects, indicating whether the arrangements are independent in the proposed Dental College or facilities of a medical college will be utilised.

25. BUILDING PROGRAMME

Building wise built up area of -

- (a) Dental College (departments, lecture theatres, examination hall, museum etc.)
- (b) Faculty and staff housing
- (c) Student hostels

- (d) Administrative office
- (e) Library
- (f) Auditorium
- (g) Ånimal house
- (h) Mortuary
- (i) Cultural and recreational centre
- (j) Sports complex
- (k) Others (state name of the facility)
- 26. PLANNING AND LAYOUT
- (a) Master plan of the Dental College Complex

THE GAREFER INTHA P.

- (b) Layout plans, sections
- (c) Elevations and floor-wise area calculations of the Dental College and ancillary building

27. PHASING AND SCHEDULING

Month wise schedule of activities indicating -

- (a) Commencement and completion of building design
- (b) Local body approvals
- (c) Civil construction
- (d) Provision of engineering services and equipment
- (e) Recruitment of staff
- (f) Phasing of commissioning

28. PROJECT COST

- (a) Capital cost of land
- (b) Buildings
- (c) Plant and machinery
- (d) Dental/Medical, scientific and allied equipment

101 patrophic and extension

(f) Preliminary and preoperative expenses

29. MEANS OF FINANCING THE PROJECT

- (a) . Contribution of the applicant
- (b) Grants
- (c) Donations
- (d) Equity
- (e) Term loans
- (f) Other sources if any

30. REVENUE ASSUMPTIONS

- (a) Fee structure
- (b) Estimated annual revenue from various sources

31. EXPENDITURE ASSUMPTIONS

- (a) Operating expenses
- (b) Financial expenses
- (c) Depreciation

32. OPERATING RESULTS

- (a) Income statement.
- (b) Cash flow statement
- (c) Projected balance sheets
- NOTE:- For Items 4 to 8 a comparative statement showing the relevant Dental Council of India norms vis-à-vis infrastructure/faculty available and/or proposed to be made available should be annexed.

THE SHE FRE OF INTERA FX FRANKENNARY

PART-III

- 33. NAME AND ADDRESS OF THE EXISTING DENTAL HOSPITAL
- 34. DETAILS OF THE EXISTING DENTAL HOSPITAL INCLUDING
 - (I) dental chairs/units.

1: 10 S. 4

- (II) clinical and non-clinical staff.
- (III) infrastructural facilities.
- (IV). OPD attendance department wise.
- 35. NAME AND ADDRESS OF THE EXISTING GENERAL HOSPITAL

36. DETAILS OF THE EXISTING GENERAL HOSPITAL INCLUDING

a. Bed strength

b. Bed distribution

c. Built-up area

d. Clinical and para-clinical disciplines

- e. Out patients departments and out patient department attendance departmentwise
- f. Architectural and lay-out plans
- g. List of medical/allied equipments
- h. Capacity and configuration of engineering services
- i. Hospital services, administrative services
- j. Other ancillary and support services (category-wise clinical and nonclinical staff strength)

(Signature) Authorised Signatory (Name & Designation)

PLACE

DATE

st ant .

11

1 Certified Copy of Bye Laws Memorandum and Articles of Association/Trust Deed etc.

计程序公司法律学科经济部分中国公司法 医苯化基甲酰氨化合物

- 2. Certified Copy of Certificates of Registration/Incorporation.
- 3. Annual Reports and Audited Balance Sheets for the last 3 years.
- 4. Certified Copy of the Title Deeds of the total available land as a proof of ownership.
- 5. Certified Copy of the Zoning Plans of the available sites, indicating their land use.
- 6. Proof of ownership of 100 bedded General Hospital/ Attachment with the Medical College/100 bedded Govt. General Hospital.
- 7. Certified Copy of the essentially certificate by the respective State Government Union Territory Administration.
- 8. Certified copy of the Letter of Affiliation issued by a recognised University.
- 9. Authorisation Letter addressed to the Bankers of the Applicant authorising the Central Government/Dental Council of India to make independent enquiries regarding the financial track record of the applicant.

THE GAZETTE OF INDIA A CONCREME.

FORM-2 [See Regulation 4:1)]

FORMAT OF APPLICATION FOR PERMISSION OF THE CENTRAL GOVT. FOR STARTING HIGHER COURSES.

(INCLUDING POST GRADUATE DEGREE/DIPLOMA) IN A DENTAL COLLGE/INSTITUTION/P.G. INSTITUTE

APPLICATION FOR

- PG DIPLOMA IN

- MDS IN

114

Sec. 12

SPECIALITY SPECIALITY

PARTICULARS OF THE APPLICANT:

(use additional sheets of the A4 size, if the space provided in the application form is not adequate. Use separate sheet(s) a for each question. Also specify clearly in the prescribed column of the application form the number of additional sheet(s), provided for the separate question).

1. NAME OF THE APPLICANT (In Block Letters)

2. ADDRESS (In Block Letters)

3. REGISTERED OFFICE

(No., Street, City, Pin code, Telephone, Telex, Telfax)

4.MAILING ADDRESS (No., Street, City, Pin code, Telephone, Telex, Telfax)

5.CONSTITUTION

(University/State Govt./Union Territories Autonomous Body, Society, Trust)

6.REGISTRATION/INCORPORATION (Number & Date)

7. OBJECTIVES

HAR GOZEN DE LE HIER DE KTRACHRUNGRA

8. EFITHR OF ESSENTIALITY/FERMISSION OF THE STATE GOVERNMENT/UNION TERRITORY (Number, Date and Issuing Authority)

9. LETTER OF UNIVERSITY AFFILIATION (Number, Date and Name of University)

10.Bankers (Name & Address)

> (Signature) Authorised Signatory (Name & Designation)

PLACE

pr. m. s

DATE

LIST OF ENCLOSURES:

- 1. Certified Copy of Bye Laws/Memorandum and Articles of Association/Trust Deed etc.
- 2. Certified Copy of Certificates of Registration/Incorporation.
- 3. Annual Reports and Audited Balance Sheets for the last 3 years.
- 4. Certified Copy of the Title Deeds of the total available land as a proof of ownership.
- 5. Certified Copy of the Zoning Plans of the available sites, indicating their land use.
- 6. Proof of attachment with Medical College Hospital or 100 beded General Hospital.
- 7. Certified Copy of the essentially certificate by the respective State Government/Union Territory Administration.
- 8. Certified copy of the Letter of Affiliation issued by a recognised University.
- 9. Authorisation Letter addressed to the Bankers of the Applicant authorising the Central Government/Dental Council of India to make independent enquiries regarding the financial track record of the applicant.

Hen HL Sec. 4]

THE GRADIES OF INFRA DECEMBERSARY

FORM-3 [See Regulation 4(1)]

FORMAT OF APPLICATION FOR PERMISSION OF THE CENTRAL GOVT. TO INCREASE THE ADMISSION CAPACITY IN THE RECOGNISED DENTAL COLLEGE/INSTITUTIONS

APPLICATION FOR INCREASE OF SEATS -BDS Course up to 50 -BDS Course from 50 to 100 -MDS Course in ______ speciality -PG Diploma in ______speciality

PARTICULARS OF THE APPLICANT:

(use additional sheets of the A4 size, if the space provided in the application form is not adequate. Use separate sheet(s) a for each question. Also specify clearly in the prescribed column of the application form the number of additional sheet(s), provided for the separate question).

1. NAME OF THE APPLICANT (In Block Letters)

2. ADDRESS (In Block Letters)

3. REGISTERÉD OFFICE (No., Street, City, Pin code, Telephone, Telex, Telfax)

4. MAILING ADDRESS (No., Street, City, Pin code, Telephone, Telex, Telfax)

5. CONSTITUTION

(University/State Govt./Union Territories Autonomous Body, Society, Trust)

6. REGISTRATION/INCORPORATION (Number & Date)

7. OBJECTIVES

8 STATE GOVERNMENTAINION TERRITORY PERMISSION / ESSENTIALITY LETTER (Number, Date and Issuing Authority)

THE REACHING OF BUILD I STRAFTCHINGS IN

9. LETTER OF UNIVERSITY AFFILIATION (Number, Date and Name of University)

Bankers

....

(Name & Address)

(Signature) Authorised Signatory (Name & Designation)

PLACE

DATE

LIST OF ENCLOSURES:

1.Certified Copy of Bye Laws/Memorandum and Articles of Association/Trust Deed etc.

- 2. Certified Copy of Certificates of Registration/Incorporation.
- 3. Annual Reports and Audited Balance Sheets for the last 3 years.
- 4. Certified Copy of the Title Deeds of the total available land as a proof of ownership.
- 5. Certified Copy of the Zoning Plans of the available sites, indicating their land use.
- 6. Proof of attachment with Medical College Hospital or 100 beded General Hospital.
- 7. Certified Copy of the essentially certificate by the respective State Government/Union Territory Administration.
- 8. Certified copy of the Letter of Affiliation issued by a recognised University.
- 9. Authorisation Letter addressed to the Bankers of the Applicant authorising the Central Government / Dental Council of India to make independent enquiries regarding the financial track record of the applicant

THE GAZEVIE OF BEER VER 20

FORM-4

[See Regulation b(2)(e)]

Subject: ESSENTIALITY CERTIFICATE

No. Government of Department of Health

Dated, the

То

The

er a en

(applicant),

Sir,

The desired certificate is as follows:-

1. No. of Institutions already existing in the State.

2. No. of seats available or No. of dental surgeons being produced annually.

3. No. of dental surgeons registered with the State Dental Council

4. No. of dental surgeons in Government service.

5. No. of Government posts vacant and those in rural/difficult areas.

6. No. of dental surgeons registered with Employment Exchange.

7. Dental Surgeon population ratio in the State.

- 8. How the establishment of the college would resolve the problem of deficiencies of qualified dental personnel in the State and improve the availability of such dental manpower in the State.
- 9. The restrictions imposed by the State Government, if any, on students who are not domiciled in the State from obtaining admissions in the State, be specified.

10. Full justification for opening of the proposed college.

11. Dental Surgeon -patient ratio proposed to be achieved.

12. Copy of the Inspection Report in connection with the Inspection carried out by the State Government for grant of permission for setting up a new dental college is to be attached.

The (Name of the person) applied has for establishment of a dental college at

On

careful consideration of the proposal, the Government of has decided to issue an essentially certificate to the applicant for the establishment of a dental college with (no.) seats

It is certified that:-

(a) The applicant owns and manages a bedded hospital which was established in

The proposed Dental College is located in the proximity of Medical College recognised by MCI and has also obtained an undertaking

from the same feledual Concrection that would be obtate training in the students of the proposed Dental College in the subject of Medicine, Surgery and Allied Medical Sciences.

Minimum 30 Out Door Dental patients per day are available to begin with.

(e) The credibility and the financial status of the applicant has been verified.

It is further certified that in case the applicant fails to create infrastructure for the dental college as per Dental Council of India norms and fresh admissions are stopped by the Dental Council of India, the State Government shall take over the responsibility of the students already admitted in the College with the permission of the Central Government.

Yours faithfully,

(SIGNATURE OF THE COMPETENT AUTHORITY)

Land Sec. 1

PurtII - Sec. 91

THE FIRST FIF OF ONTO S EXTRAORIDUARY

FORM-5 [See Regulation 6(2)(f)]

No. University of

Place	******
Dated, the	

-

The Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Nirman Bhawan.

. .

AFFILIATION

REGISTRAR

11-11-2011年1月11日(11-11日)(11-11月)(11-11日)(11-11日)(11-11日)(11-11日)))(11-11日)))(11-11日)))(11-11日)))(11-11日))(11-11日)))(11-11日))(11-11日)))(11-11日)))(11-11日))(11-11日)))(11-11日)))(11-11日))(11-11日))(11-11日))(11-11日))(11-11日))(11-11日)))(11-11日)))(11-11日))(11-11日))(11-11日))(11-11日))(11-11日)))(11-11日))(11-11日))(11-11日))(11-11日))(11-11日))(11-11日))(11-11日))(11-11日))))(11-11日)))(11-11日)))(11-11日)))(11-11日)))(11-11日)))(11-11日)))))(11-11日)))(11-11日)))(11-11日)))(11-11日)))(11-11日)))(11-11日))))(11-11日)))(11-11日))))(11-11日)))(11-11日)))(11-11日)))(11-11日)

6(2)(h)]

ANNEXURE I [see regulation

Requirement of the 100 bedded general hospital for teaching BDS students drawn up in accordance with the parameters prescribed by the Bureau of Indian Standards

A 100 bedded general hospital should have a definite out patient departments, in-patient services and 24 hours emergency and critical care services. It should have a medical programme as under:

I. MEDICAL PROGRAMME

A) Medical & Allied Disciplines

- General Medicine
- General Surgery
- Obstetrics and Gynaecology
- Orthopaedics
- Critical Medicine
- Emergency Medicine
- · Olorhine Laryngology
- Paediatrics
- Pathology
- Anaesthesiology
- Blood Bank & Transfusion
- Community Medicine
- Hospital Administration

B) Nursing, Paramedical, Technical and Allied Services

- Diclities and Therapeutics
- Drugs & Pharmacy
- ECG Technology
- Tmaging Technology
- Central sterile supply department
- Physiotherapy
- Medical Record Sections

C) Engineering and Allied Services

- Fire protection
- Electrical
- · Air conditioning/Central heating
- Medical Gases
- Refrigeration
- Central Workshop
- Ambulance Service
- Water Supply
- Sewage Treatment/Disposal and waste disposal cell

THE SAVET BEEN AND A TRANSPORT OF

(D) Administration and Ancillary Services

- General Administration
- Material Management
- Medical Social Worker
- PRO
- Library
- Security

2. FUNCTIONAL PROGRAMME

A. Site

0.000 30 41

Site should be on 5 acres of land earmarked for the Dental College – a site with high degree of sensitivity to outside noise should not be present. It should be accessible by transport and building should be well ventilated.

B. Category wise Bed Distribution

i)	General Ward – Medical including allied specialities	30 beds
ii)	General Ward - Surgical including allied specialities	30 beds
iii)	Private Ward (A/C & Non A/C)	9 beds
iv)	Maternity Ward	15 beds
v)	Paediatric Ward	6 beds

The intensive care services for medical/surgical intensive care with bed complement of 4 beds (4% of bed strength).

The critical care services for medical/surgical emergencies with bed complement of 6 beds (6% of bed strength)

3. Area Requirements (As per Bureau of Indian Standards)

- Covered area requirement is 20 sq.m./bed
- Out of the total covered area
- 40% inpatient services
- 35% outpatient services
- 25% department and supportive services

4. Man Power Requirements

The consultants in the various departments after post graduation as required.

22222222

Medical Staff

•••	General Surgery	•
-	General Medicine	-
-	Obstetrics & Gynaecology	
-	ENT	-
•	Paediatrics	•
#	Anaesthesia	
•	Orthopaedics	-

! Phongau chopisa Radiologiest t G.DMO 1 Community Medicine Hospital Administration 1 1 -Nursing Staff Matron 1 -• Sister incharge O.T. Nurses 6 - - - -6 -General Nurses 20 • Labour Room Nurses 4 -

11.1.1

H	ealth Staff		
-	Female Health Assistant	-	1
•	Extension Educator	-	1
	Paramedical Staff		
-	Lab Technician/Blood Bank Tech	-	4
-	ECG Technician	-	1
-	Pharmacist	-	4
-	Sr. Radiographer	• *	1
-	CSSD	-	2
•	Medical Records	•	1
A	dministrative Staff		
-	Office Superintendent	-	1
•	Head Clerk		1
-	Cashier	-	J
-	Stenographer	-	1
-	UDC	-	2
-	LDC	-	4

Support services to be provided.

THE HARES THESE BUILD EXTRAGRADING .

ANNEXURE II

[See Regulations 6(2)(i)]

Minimum requirement of dental chairs at 'Under-graduate & Post-graduate level in dental colleges'

UG Lovel

2 broad categories

12 . 10 Sec. 41

(a) <u>Examination chairs</u> – (used for patient examination diagnosis and radiology departments). These chairs built on solid metal sheet base weighing min 165 kg (total weight), should be with semi-electrical controlled up/down movements with suitable body contoured physiologically and ergonomically designed seat. Back rest movement may be mechanically or electrically controlled with a spittoon tumbler holder and filler, two intensity examination light and an autoclavable instrument tray.

*1 The chair should be accompanied by pneumatic operatory stool, all painted parts should be with high quality PU paint and/or zinc/chrome plated.

*2 Minimum and maximum range of working height of the chairs should be between 440-810 mm at seat level from the floor.

*3 All inlet and outlet waterpipes, electrical cables and compressed airpipe should be concealed for esthetic and most importantly hygienic reasons.

(b) <u>Treatment chairs</u> – (used for all types of dental treatment rendered to the patient). All treatment chairs must be fully electrically operated for patient/operator comfort and convenience. All movements i.e. up/down and backward/forward needs to be electrically controlled with switches or touch pad system, in addition to foot controlled movements.

The treatment chairs besides having a spittoon, tumbler holder/filler, high an low velocity suction, dual intensity operating lamp and an autoclavable examination tray on a movable arm, should at leasthave 3-way syringe, AR control, airmotor control/micromotor besides scaler and light cure attachments (both optionally provided wherever required) mounted on a movable arm along with pneumatic operator stool. Average treatment chair mounted on the base of sturdy metal plate should be of min weight of 180+ kgs for optimum stability during different treatment positions and procedures.

*1, *2, *3 same as examination chairs:

PG Level

For post-graduate students all the features of examination and / or treatment chairs for UG level should be present with addition of fully electrically operated and programmable feature in each chair. Additionally the assistant console for an extra 3-way syringe and motored HV and LV suction should be provided at the assistant side.

PG students should be trained to be working with '4 handed dentistry' protocol using assistant control panel.

general school of the second school of the second states and the second states and the second states and the second school of the secon

Per chaired electrical programmable chairs - mounted or a storety octal plate should work min 2004 kg and have facilities to upgrade with mira oral camera and screen monitor for easy documentation of clinical cases.

*1, *2, *3 same as examination chairs.

ANNEXURE - III [see regulation h(2)(1)

.

MINIMUM STAFFING PATTERN FOR UNDER GRADUATE DENTAL STUDIES FOR 50 ADMISSIONS

Principal/Dean: - 1 (One post of Professor can be deleted in the under mentioned tabulation according to the subject of specialisation)

Each Dental Department should be headed by a Professor

		IYear			II Year			III Year		Total	Total Posts in position	DOSIGION
ν.					··· ·					trom the beginger onwards	from the beguming of year onwards	C JO ŽU
	Prof.	Reader	Lecturer	Prof.	Reader	Lecturer	Prof.	Reader	Lecturer	Prof.	Reader	Reader Lecture
	2*	2	10	3*	4	20	6 *	11	30	9	=	30
Prosthodontics, Crown Bridge, Aesthetic		1	1	. 1	7	•••		2	ŧ	padi	17	•
Dentistry and Oral Implantology	. /#**		Ì									
Oral Pathology, Microbiology & Forensic		•	1		1	1	I	1	1		pr-14	
Odontology												
Conservative, Endodontics & Aesthetic	•	1	. •	-1	1	-	1	7	,		2	•
Dentistry			1									
Oral & Maxillofacial Surgery and Oral		1			•		1		8	_		
intplantology	1	;					·					
Periodontology & Oral Implantology	1			1	1	•	1	1	1	1		
Orthodontics & Dento-facial Orthopedics		•			•		•	1		-		
Pedodontics & Preventive Dentistry	.1				•	•	•	1		•		
Oral Medicine & Radiology	1			•	•	-	1	1	-	-		
Public Health Dentistry & Preventive Dentistry	•				1	· 1		1	1	,		
Dental Materials	1	•			1	1	1	•	-	•		
Dental Anatomy/Oral Biology	•	1	•		1	•	•	1	•		-	
				ז 1								

33

.

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

Per 111-Sec 4]

•

-

* Includes the Principal who can head any one of the six specialities.

MINIMUM STAFFING PATTERN FOR UNDER GRADUATE DENTAL STUDIES FOR 100 ADMISSIONS

cach Dental Department should be headed by a Professor

.

.

		I Year			ll Year			III Year	·	Total Posts from the beg year onwards	Total Posts in messaes from the beginning of year onwards	
	Prof.	Reader	Lecturer	Prof.	Reader	Lecturer	Prof.	Reader	Lecturer	Prof.	Reader - Lecture	inter
	2*	3	16	*	5	30	6*	13	40	6 *	13	
Prosthodontics, Crown Bridge, Aesthetic	-	2	•	1	2		-	2		-1	2	
Dentistry and Oral Implantology	انعيمت											
Oral Pathology, Microbiology & Forensic	1			1	1		_	1		1		
Odontology										1	. ,	:
Conservative, Endodontics & Aesthetic	•	1			2			2		1	12	
Dentistry					•	•	•					
Oral & Maxillofacial Surgery and Oral	1	1	•		•		_	2		-	7	
implantology												
Periodontology & Oral Implantology	•	•			•		-	2		1	2	
Orthodontics & Dento-facial Orthopedics		-	ı			•	•	1	•	1	1	
Pedodontics & Preventive Dentistry	•	4	•	•	•			1		,	1	
Oral Medicine & Radiology	1	•		•	•			1		•	ļ	
Public Health Dentistry & Preventive Dentistry	•			•		•	•	1		-	1	1
Dental Materials	•				-		•	8		-		
Dental Anatomy/Oral Biology	•				-		-		•	•		
* Includes the Brinchal who can head any me of the six merialities	f the civ o	meriolitie										

includes the Principal who can head any one of the six specialities.

36

.;

THE GAREFFECTE INDIA EXTRAORDINARY

1Pac 111 - Nov. 41

ĪII

Anaesthesia

Annexure IV

1

•

1

Medical Teaching Staff in a Dental College Intake and Designations Ycar Subjects 50 Admissions **100 Admissions** Professor Reader Lecturer Reader Lecturer Professor 2 1 4 . 1 ... 1 Anatomy 2 2 1 1 I Physiology • .-. 2 1 2 1 Biochemistry Ī • -2 1 3 1 Pharmacology II ÷ -1 2 2 General 1 . II . Pathology Microbiology 1 2 1 2 11 -• 2 1 3 General 1 III --Medicine İİİ 1 2 1 3 General Surgery . .

1

-

1

[See Regulations 6(2)(j)] dical Teaching Staff in a Dental Coll WAR So 41

THE WASTERS & BREEN BASERARDINARY.

ANNEXURE - V

ł

[See Regulation 9]

RECOMMENDATION OF THE DENTAL COUNCIL OF INDIA

Dental Council of India

No.

Place Date

.....

To

The Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Nirman Bhawan, New Delhi.

Sub:- Establishment of a dental college at By (name of the State Government /Union Territory/Society/Trust).

Sir.

I am directed to refer to your letter No. dated on the above subject and to say that the physical and other infrastructural facilities available at the proposed dental college to be set up at by the (person) were inspected on by the Inspectors appointed by the Dental Council of India. A copy of the inspection report is enclosed.

- 3. On careful consideration of the scheme and inspection report the Dental Council of India has arrived at the following conclusion:-
 - (i) that the applicant fulfils the eligibility and qualifying criteria.
 - (ii) that the applicant has a feasible and time bound programme to set up the proposed dental college along with infrastructural facilities including adequate hostel facilities for boys and girls and as prescribed by the Dental Council of India, commensurate with the

(Par 10) Sec. 41

THE STARFULLY WINDA EXTRACTORDINARY

proposed intake of students so as to complete the dental college within a period of four years from the date of grant of permission.

Ľ

: •

÷

- (iii) That the applicant has necessary managerial and financial capabilities to establish and maintain the proposed college and its ancillary facilities including a teaching hospital/tie up with the Govt. General Hospital.
- (iv) That the applicant has a feasible and time bound programme for recruitment of faculty and staff as per prescribed norms of the Council and that the necessary posts stand created.
- (v) That the applicant has not admitted any students.
- (vi) Deficiencies if any in the infrastructure or faculty shall be pointed out indicating whether these are remediable or not.
 The position regarding infrastructural facilities is as under:-

Requirement at the time of inception	Available	Remarks
No. as per DCI norms		

1. Staff

2. Buildings

3. Equipment

4. Other requirement

In view of the above position, the Council recommends to the Central Government for grant of permission –

In case the Council does not recommend permission.

The reasons for disapproval of the scheme are as under:-

(a).....

(b).....

(c).....

The scheme, in original, is returned herewith.

Yours faithfully,

SECRETARY, DENTAL COUNCIL OF INDIA

Encls:- Inspector's report.

THE GAZECIE OF INFILE EVERALIKATION ART

SCHEDULE [See Regulation 4(2)]

11 ... 11.

Schedule for receipt of Applications for Establishment of New Dental Colleges, Opening of Higher Course of Study & Increase of admission capacity in the recognised Dental Colleges and processing of the applications by the Central Government and the Dental Council of India.

S.No.	Stage of Processing	Time Schedule for BDS	Time Schedule for MDS
1	2	3	4
1.	Receipt of applications by the Central Govt.	From 1 st Aug. to 30 th September (both days inclusive) of any year	From 1 st May to 30 th June (both days inclusive) of any year
2.	Forwarding of applications by the Central Government to the Dental Council of India for technical scrutiny.	Upto 31 st October	Upto 31 st July
3.	Forwarding additional documents, if any, by the Central Government to the Dental Council of India in respect of applications received between 1 st August and 30 th September	Upto 31st March	Upto 30 th November
4.	Issue of Letter of Permission by Central Government	Upto 15 th July	Upto 31 st March

Note (1): If any clarification is sought by the Central Government on the recommendation of the Council, the same will be furnished by the Council forthwith, if necessary, after conducting inspection.

(2) The time-schedule indicated above may be modified by the Central Government, for reason to be recorded in writing, in respect of any class or category of applications.

THE GAZETTE OF INDIAL EXTRAORINGARY

[To be published in the Gazette of India, Part III, Section 4.]

DENTAL COUNCIL OF INDIA NOTIFICATION New Delhi, the 16th January, 2006

No.DE-22-2005 - In exercise of the powers conferred by section 10A read with section 20 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Dental Council of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Regulations relating to establishment of new dental colleges, opening of new or higher course of study or training and increase of admission capacity in dental colleges, namely:-

1. Short title and commencement:-

11 / 11 S. 31

- (1) These regulations may be called the Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) (Amendment)Regulations, 2006.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In regulation 4(2) of the principal DCI regulations 2006, the 'Schedule' mentioned therein, shall be substituted with the following 'Schedule' :-

SCHEDULE

[See Regulation 4(2)]

Schedule for receipt of Applications for Establishment of New Dental Colleges, Opening of Higher Course of Study & Increase of admission capacity in the recognised Dental Colleges and processing of the applications by the Central Government and the Dental Council of India.

S.No.	Stage of Processing	Time Schedule for BDS	Time Schedule for MDS
<u> </u>	2	3	4
1.	Receipt of applications by the Central Govt.	From 1 st Aug. to 30 th September (both days inclusive) of any year	From 1 st May to 30 th June (both days inclusive) of any year

TREAM FOR A GREATER WARDNARY

2.	Forwarding of applications by the Central Government to the Dental Council of India	Upto 31 st October	Upto 31 st July
3.	for technical scrutiny. Recommendations of DCI to the Central Government	Upto 15 th June	Upto 28 th February
4.	Issue of Letter of Permission by Central Government	Upto 15 th July	Upto 31 st March

Note (1): If any clarification is sought by the Central Government on the recommendation of the Council, the same will be furnished by the Council forthwith, if necessary, after conducting inspection.

(2) The time-schedule indicated above may be modified by the Central Government, for reason to be recorded in writing, in respect of any class or category of applications.

/MK/Gazette Draft - ANNEXURES-4.1.2006

AND IN SU AT

REGUNDED. 190493 BARREL AND D. 190493 BARE

असाधारण EXTRAORDINARY माग ॥। PART ॥। प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 9} नई दिल्ली, 16 जनवरी 2006 / पीष 28, 1927 NO.9} NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 18, 2006/PAUSA 28, 1927

भारतीय वंत परिषद्

अमिसूचमा

मई विल्ली, 16 जनवरी 2006

सं.बे-ई-22-2005.- दन्त विकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 20 के साथ पठित धारा 10-क के द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय वन्त परिवद् केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोवन से, नए वन्त कालेजों की स्थापना, अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नए अथवा उच्चतन पाठ्यक्रम खोलने और वन्त कालेजों में प्रवेश क्षमता बढ़ाने से संबंधित विनियमों में संशोधन करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाती हैं, अर्थात:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:-

1.

(1) इन विमियमों को भारतीय वन्त परिषद् (मए वन्त कालेओं की स्थापना, वन्त कालेओं में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम खोलना और प्रवेश क्षमता बढाना) (संशोधन) विनियम, 2006 कहा जाएगा

(2) प्रधान भारतीय वन्त परिषद् विनियम, 2006 के विनियम 4 (2) में, उसमें उल्लिखित 'अनुसूची' को निम्नलिखित 'अनुसूची' से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"अनुसूची" (विनियम 4 (2) देखें)

मया वन्त कालेज खोलने, अध्ययन का उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करने तथा मान्यता प्राप्त वन्त कालेजों में प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए आवेवन पत्रों की प्राप्ति तथा केन्द्रीय सरकार एवं भारतीय बन्त परिषद् द्वारा इस पर कार्रवाई करने के लिए समय-सूची।

क्र.सं.	कार्रवाई का चरण	षी छे.एस. पाठ्यक्रम के लिए समय-सूची	एम डी.एस. पाठ्यक्रम के लिये समय-सूची
1	2	3	4
1.	केन्द्रीय सरकार द्वारा आवेवन पत्रों की प्राप्ति।	किसी भी वर्ष । अगस्त से 30 सितम्बर तक (दोनों दिवस शामिल)	किसी भी वर्ष । मई से 30 जून तक (दोनॉ दिवस शामिल)
2.	तकनीकी संवीक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा आवेदन पत्र भारतीय दंत परिषद् को अग्रेषित करना।	31 दिसंम्बर तक	३ । जुलाई तक
3.	भारतीय दत परिषद् केन्द्रीय सराकर को सिफारिशें भेजना।	1 5 जून तक	28 फरवरी तक
4	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमति पत्र जारी करना।		

े. हिंदी हैं के स्वार्थन के स्वार्थने के संवर्धन के संवर्धन के साथ के साथ के साथ के साथ से साथ साथ के साथ के स तथा के साथ के प्रारंभ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के सा साई ने के बाद के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ

and the transfer of the second

एल एस। अरोका जमारी क्षीवेन (विज्ञान-आग्रंग्/198/2005/अस))

पाद टिप्पणी --

प्रधान विनियम, नमता, भारतीय वंत परिषद् (नए दन्त कालेज खोलना, अध्ययन अधवा प्रशिक्षण के नए अथवा उत्तंतर पाठ्यक्रम शुक्त करना और दन्त कालेजों में प्रवेश बढ़ानां) विनियम, 2006 भारत के राजपत्र असाधारण के भाग- 3 खण्ड 4 में 12 जनवरी, 2006 को प्रकाशित।

DENTAL COUNCIL OF INDIA

1.8

NOTIFICATION

New Delhi, th 16th January, 2006

No. DE-22-2005.- In exercise of the powers conferred by Section 10A read with Section of 20 the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Dental Council of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Regulations relating to establishment of new dental colleges, opening of new or higher course of study or training and increase of admission capacity in dental colleges, namely:-

- 1. Short title and commencement:-
 - These regulations may be called the Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) (Amendment) Regulations, 2006.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 4 (2) of the principal DCl regulations 2006, the 'Schedule' mentioned therein, shall be substituted with the following 'Schedule':-

"SCHEDULE" [See Regulation 4 (2)]

Schedule for receipt of Applications for Establishment of New Dental Colleges, Opening of Higher Course of Study & Increase of admission capacity in the recognized Dental Colleges and processing of the applications by the Central Government and the Dental Council of India.

SI.No.	State of Processing	Time Schedule for BDS	Time Schedule for MDS
1	2	3	4
1.	Receipt of applications by	From 1 st August to 30 st	From 1" May to 30the June
	Central Govt.	September (Both days	(Both days inclusive) of any
		Inclusive) of any year	
2.	Forwarding of applications	Upto 31 ^{ed} December	Upto 31 st July
	By the Central Govt. to the		
	Dental Council of India for		
	Technical scrutiny.		
3.	Recommendation of DCI	Upto 15 [*] June	Upto 28 [*] February
	To the Central Government		•
· 4 .	Issue of Letter of Permission	Upto 15 th July	Upto 31" March
	By Central Government		•


Note:

(1) If any clarification is sought by the Central Government on the recommendation of the Council, the same will be furnished by the Council forthwith, if necessary, after Conducting Inspection.

(2) The time-schedule indicated above may be modified by the Central Government, for reason to be recorded in writing, in respect of any class or category of applications.

S.S. ARORA, Secy. I/c [ADVT.III/IV/98/2005/Exty.]

Foot note:- The Principal regulations, namely, the Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New of Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations 2006 published in Part-III. Section 4 of the Gazette of India, Estraordinary, on 12⁶ January 2006



भारतीय वन्त परिषद्

अषिस्चना

मई विल्ली, 17 फरवरी, 2006

स कीई -22-2005- भारतीय बन्त चिकित्सा अधिनियम, 1948 (1948 कर 16) की धारा 20 के साथ पठित धारा 10 क द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय बन्त परिबद केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से, नए दन्त कालेज खोलने, दन्त कालेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नए अधवा उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करने अथवाप्रवेश समता बढ़ाने से संबंधित विनियमों में संशोधन करते हुए एतव्द्वारा निम्नलिखित विनियिम बनाती है, नामत:--

संक्रिप्त नाम और प्रारम्भः 1.

(1) इन विनियमों को भारतीय वंत परिषद् (नए वन्त कालेज खोलना, वंत कालेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करना और प्रवेश क्षमता बढाना) (दूसरा संशोधन) विनियम 2006 कहा जाएगा। (2)

ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

वन्त चिकिरसक अधिनियम की धारा । 0क के अधीन अनुमति हेतु भारतीय देत परिषद् में लम्बित आवेवनों (रौक्षिक दर्ष 2. 2006-2007 के लिए प्राप्त आवेदनों सहित) के संबंध में प्रधान विनियमों की प्रयोजनीयता में आंशिक संशोधन करते हुए केन्द्रीय सरकार ने अपने दिनांक 3/6 फरवरी, 2006 के पत्र संख्या थी 12012/4/2003-पी.एम.एस.(डी.ई.) के तहत निम्नलिखित निर्णय किया है:-

''यह निर्णय किया गया है कि संशोधित विनियमों की प्रयोजनीयता के संबंध में लम्बित आवेदनों को कतिपय 🛛 छुटें/ढीलें दी जाए। इस तथ्य को वेखते हुए कि संशोधित विनियमों के अनुसार, प्रस्तावित वन्त कालेज के लिए चिन्हितभूमि पर निर्मित क्षेत्र के संबंध में अपेक्षाओं का तुरन्त पालन करना आवेवमों के लिए व्यवहार्य नहीं होगा, यह निर्णय किया गया है कि निर्मित क्षेत्र की अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयोजन के लिए एक वर्ष की माफी अवधि प्रवान की जाए, अर्थात् नवीकरण के लिए निरीक्षण की देय तारीख तक की माफी दी जाए। इसी तरह, जिन मामलों में दन्त कालेज ने किसी निजी अस्पताल से गठ-जोड़ कर रखा है उन मामलों में अस्पताल संबंधन से जुड़े प्रावधान लम्बित आवेदनों पर एक वर्ष की अवधि के लिए लागू नही होगें, बशतें कि उस अवधि में दन्त कालेज संशोधित विनियमों में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार 100 पलंगों वाला स्वयं का एक अस्पताल स्थापित करने की स्थिति में है।"

यह सुनिश्चित करने के लिए कि विधिवत् अनुमति दिए जाने के बाद ऐसे दन्त कालेजों में दाखिल किए गए छात्रों के हितों की रक्षा की जा सके, यह भी निर्णय किया गया है कि ये ढीलें जहां भी मांगी जाती है आवेदकों को इस शर्त के अधीन दी जाएगी कि वे भारतीय वंत परिषद् को इस आशय की वधन-बद्धता दें कि वे अगले नवीकरण की देय तारीख से पहले संशोधित विनियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन कर लेंगे और ऐसा नही करन पर वे अनुमति के नवीकरण के लिए अनुरोध करने के पात्र नही होंगे। यह भी इस शर्त के अध्यधीन होगा कि यदि निर्मित क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों के संबंध में छूट मांगी जाती है जो भारतीय परिषद

 (\mathbf{i})

रस एस जरोड़ा पभारी आंचेद (विद्यान-॥//V/98/2005/असा)

पाव हिष्पणी...

 प्रधान विनियम, नमता. भारतीय दत परिषद् (नए वन्त कालेज खोलना, अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नए अथवा उत्ततर पाठ्यक्रम शुरू करना और दन्त कालेजों में प्रवेश बढाना) विनियम. 2006 भारत के राजपत्र असाधारण के भाग--3. खण्ड 4 में 12 जनवरी 2006 को प्रकाशित।

一种,的新闻和大量来,的新闻不能放出了非常的,都可能提升的机械和加加的之时,但是不能了新闻。

· · · · · · ·

 प्रधान विनियमों में पहला संशोधन भारत के राजपन्न (असाधारण) के भाग 3, खण्ड 4 में 16 जनवरी, 2006 को प्रकाशित।

医弗里氏黄疸 化二氯化化化二氯化 化乙基乙基 化分子机

DENTAL COUNCIL OF INDIA NOTIFICATION

New Delhl, the 17the February, 2006

No. DE-22-2005-In exercise of the power conferred by section 10A read with section 20 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Dental Council of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Regulations relating to establishment of new dental colleges, opening of new or higher course of study or training and increase of admission capacity in dental colleges, namely:-

1. Short title and commencetaiat:-

भ मुझ ल मुन- कुंध को लिए हैंधा लग्न कला लाग जनन ही - पू में अरह प्रते हैंस लाग्दी आज लागे

- These regulations pay be called the Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) (2st Amendment) Regulations, 2006.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In partial modification of the applicability of the principal Regulations, regarding the applications pending with the Dental Council of India (including those received for the academic session 2006-2007) for permission under section 10A of the Dentists Act, the Central Government vide in letter No. Y12012/4/2003-PMS (DE) dated 3rd/6th February, 2006 has decided as under:-

"It has been decided that certain exemptions/relaxations may be given to the pending applications in regard to the applicability of the revised regulations to them. Considering the fact that it may not be feasible for the application to readily conform to the regulations relating to constructed area on the land earmarked for the proposed denial college as per the revised regulations, it has been decided to grant a grace period of one year i.e. till the inspection for the next renewal of permission is due for the purpose of fulfilling the requirements of constructed area. Similarly the provisions relating to hospital attachment in cases where the denial college has a tle-up with a private hospital will not apply to the pending applications for a period of one year provided the denial college is in a position to set up its own 100 bed hospital in accordance with the norms prescribed in the revised regulations during the period.

In order to ensure that the interests of the students admitted after due permission, to such dental colleges are protected, it has also been decided that these relations wherever sought will be provided to the applicants subject to their furnishing an undertaking to the Dental Council of India to the effect to the effect that they would comply with the requirement of the revised regulations before the next renewal is due failing which they would not be entitled to seek renewed of permission. This would also be subject to their furnishing on additional bank guarantee of Rs. 1.00 crores valid for one year in favour of the Dental Council of India in respect of the provision relating to constructed area is sought and a similar bank guarantee for Rs. 1.00 crore in case relaxation relating to hospital attachment in sought.

S.S. ARORA, Secy. (I/c) [ADVT-III.IV/Exty/98/05]

Footnote: 1.

The Principal regulations, namely, the Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New or Higher Course of Study or Training and increase of admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006, published in Part-III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, on 12th January, 2006.

 The first Amendment to the Principal Regulations, published in Part-III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, on 16⁺ January, 2006.

. 1.4.

· 资料使处理。 - 均能幾 北美隆帕济

10 163)

NO.163)

REGD NO D.L. 33004/99

असाधारण EXTRAORDINARY भाग III - खण्ड 4 PART III - Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित

The Gazette of India

PUBLISHED BY AUTHORITY गई विस्ली, शुक्रवार गवम्बर, 3, 2006 /कार्तिक 12, 1928 NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 3, 2006/ KARTIKA 12,1928

भारतीय वन्त परिषव्

L

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2006

स. से ई. 14.2006-बन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 20 के साथ पठित धारा 10क के द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय बन्त परिषव्, केन्द्रीय सरकार के अनुमोबन से ''भारतीय बन्त परिषव् (नए बन्त कालेजों की स्थापना, वन्त कालेजों में अध्ययन अध्या प्रशिक्षण के नये अध्या उच्चतर पाठ्यक्रम खोलना और प्रवेश क्षमता बदाना) विनियम 2006 '' संबंधी प्रधान विनियम, 2006 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

संविप्त नाम और प्रारम्भ:--

(i) इन विनियमां को भारतीय दन्त परिषव् (नए दन्त कालेजों की स्थापना, दन्त कालेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नए अथवा उच्धतर पाठ्यक्रम खोलना अथवा प्रवेश क्षमता बढाना) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006 कहा जाएगा।

ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

रत की

(1) प्रधान विनियमों की धारा 1 7 की उप-धारा (3) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए:-

(3) अध्ययन अथवा प्रशिक्षण का भया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम खोलने की अनुमति इस विनियम के अन्तर्गत एकवर्ष की अवधि के लिए वी जाएगी तथा भारतीय वन्त परिषद्दारा निरीक्षण के पश्चात् इसका मवीकरण वार्षिक आधार

पर किया जाएग। वार्षिक मवीकरण की यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक संबंधित पाठ्यक्रम में छात्रों का प्रथम बैच अंतिम वर्ष की परीक्षा में मही बैठ जाता। यह दन्त कालेज की जिम्मेदारी होगी कि वह अगली शैक्षिक सन्न के शुरू होने के छहि महीने पहले परिबद् को ऐसे नवीकरण के लिए आवेदन करे।

(#)

(ii)

2.

प्रधान विनियमों में धारा 23 की उप-धारा (4) के पश्चात निम्नलिखित नई उप-धारा (4क) जोड़ी जाएगी:-

(4क) अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के उच्चतर पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता बढ़ाने के मामले में उपर्युक्त अनुमृति एक वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी तथा भारतीय वन्त परिषद द्वारा निरीक्षण करने के पश्चात वार्षिक आधार पर नवीकरण किया जाएगा। वार्षिक नवीकरण की यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक संबंधित पाठ्यक्रम में बढ़ाई गई प्रवेश क्षमता में दाखिल छात्रों का प्रथम बैच अंतिम वर्ष की परीक्षा में नही बैठ जाता तथा जहाँ कहीं आवश्यक हो, कार्य निष्पादन बैंक गारंटी का नवीकरण नहीं हो जाता। यह दन्त कालेज की जिम्मेदारी होगी कि बह अगले रौक्षिक सत्र के शुरू होने के छह महीने पहले परिषद को ऐसे नवीकरण के लिए आवेदन करें।

> एस.एस अरोड्। प्रभारी सचिव (विज्ञान-॥i/v/98/2005/असा)

A CALLER OF PODES - UXTRA ORDENARY

rake di Seca

धाब हिंभणी

2.

प्रधान विनियम नागल भारतीय दन्त परिषद् (मए वन्त कालेज खोलना, अध्यायन अथवा प्रशिक्षण के नए, अथवा उच्यतर पाठ्यक्रम शुरू करना और दन्त कालेजों में प्रवेश क्षमता बढाना) विनियम 2006 भारत के राजपत्र, (असाधारण) के भाग 3, खण्ड 4 में 1 2 जनवरी, 2006 को प्रकाशित।

- प्रधान विनियमों में पहला संशोधन भारत के राजपंत्र (असाधारण) के भाग 3. खण्ड 4 में. 1 6 जनवरी, 2006 को प्रकाशित ।
- 3 प्रधान विनियमों में दूसरा संशोधन भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग 3, खण्ड 4 में 2। फरवरी, 2006 को प्रकाशित।

DENTAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 2st November, 2006

No. DE. 14-2006- In exercise of the powers conferred by Section 10A read with Section 20 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Dental Council of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Principal Regulations, 2006 called "Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006", namely:-

1. Short title and commencement:-

(3)

(4)

(i) These Regulations may be called the Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) (3^{ad} Amendment) Regulations, 2006.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

(i) In the Principal Regulations, the existing Sub-section 17 be substituted with the following:-

- The permission granted under this regulation for starting of new or higher course of study or training will be granted for a period of one year and will be renewed on yearly basis after inspection by Dental Council of India. This process of renewal of permission will continue until the first batch of students appears in Final Year Examination of the concerned Course. It shall be the responsibility of the Dental College to apply to the Council for such renewal six months before the beginning of the next academic session.
- (ii) In the Principal Regulations, after Sub-section (4) of Section 23, the following new Sub-section (4A) be inserted:-
 - In the case of higher course of study or training, the above permission to increase the admission capacity will be granted for a period of one year and will be renewed on yearly basis after inspection by Dental Council of India. This process of renewal of permission will continue until the first batch of students with increased admission capacity appears in Final Year Examination of the concerned Course and revalidation, if necessary, of the performance bank guarantee. It shall be the responsibility of the dental college to apply to the Council for such renewal six months before the beginning of the next academic session.

S.S. ARORA, Scey. Incharge [ADVT-III.IV/Exty/98/05]

Foot note:

1. The Principal Regulations, namely, the Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity In Dental Colleges) Regulations, 2006, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, on 12.1,2006.

3. The 1st Amendment to the Principal Regulations, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, on 16.1.2006.

 The 2st Amendment to the Principal Regulations, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, on 21.2.2006.

(2)

रजिस्ट्री सं॰ डी०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

The Gazette of India HILLINGUS 4

> PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

> > (1)

सं. 134] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 22, 2012/ज्येष्ठ 1, 1934 No. 134] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 22, 2012/JYAISTHA 1, 1934

भारतीय दंत्य परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2012

सं. डी. ई.-22-2012.—दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) के साथ पठित दन्त चिकित्सा (संशोधन) अधिनियम, 1993 के खंड 10ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दंत्य परिषद्, कंन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से "भारतीय दंत्य परिषद् (नए दंत्य कालेजों की स्थापना, दंत्य कालेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम खोलना और प्रवेश क्षमता बढ़ाना) विनियम, 2006" संबंधी प्रधान विनियम, 2006 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :---

लघु शीर्षक और प्रवर्तन :—

- (!) ये विनियम भारतीय दंत्य परिषद् (नए दंत्य कालेजों की स्थापना, दंत्य कालेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम खोलना और प्रवेश क्षमता बढाना) (चौथा संशोधन) विनियम, 2006 कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

प्रधान विनियम, 2006 के विनियम 6 के उप-विनियम (2)
 की धारा (ज) को एतद्द्वारा निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :---

"(ज) प्रार्थी अपने प्रस्तावित कालेज को भारतीय दंत्य चिकित्सा परिषद् द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्रदत्त ऐसे सरकारी/निजी चिकित्सा कालेज के साथ सम्बद्ध करेगा

1814 G1/2012

जो सड़क मार्ग से प्रस्तावित दंत्य कालेज से 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा और उपर्युक्त चिकित्सा कालेज के सम्बन्ध में इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करेगा की वह समय-समय पर यथासंशोधित सम्बंधित स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर दंत्य पाठ्यक्रम विनियमों में निर्धारित पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या के अनुसार प्रस्तावित दन्त कालेज के छात्रों के प्रशिक्षणों को सुविधापूर्ण बनाएगा :---

लेकिन शर्त ये है कि चिकित्सा कालेज के साथ एक से अधिक दंत्य कालेज सम्बद्ध नहीं किया जाएगा ।

(जज) स्थापित तथा ऐसा/ऐसे मौजूदा दंत्य कालेज जिसे/जिन्हें प्रधान विनियमों के अधीन पी. जी. दंत्य पाठ्यक्रम में दाखिला क्षमता बढ़ाने अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम खोलने की अनुमति दी जा चुकी है, समय-समय पर यथासंशोधित प्रधान विनियम, 2006 के प्रावधानों द्वारा इसी प्रकार शासित होते रहेंगे :---

लेकिन शर्त यह है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दन्त चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 के खण्ड 10ए के अधीन मुखीय तथा मैक्सीलोफेशियल सर्जरी की विशेषज्ञता में एम. डी. एस. पाट्यक्रम शुरू करने की कोई अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसा पाट्यक्रम शुरू करने का इच्छुक दंत्य कालेज भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्रदत्त ऐसे सरकारी/निजी कालेज से सम्बद्ध न हो जो कि सड़क मार्ग से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हो।"

J

कर्नल (सेवानिवृत्त) डॉ. एस. के. ओझा, कार्यवाहक सचिव [विज्ञापन III/4/असाधारण/98/12]

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

- पाद टिप्पणी :---1. प्रधान विनियम, नामतः भारतीय दत्य परिषद् (नए दत्य कालेजों की स्थापना, दत्य कालेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नए अथवा उच्चतर पाट्यक्रम खोलना और प्रवेश क्षमता बढाना) विनियम, 2006 भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग 111, खंड 4 में 12 जनवरी, 2006 को प्रकाशित।
 - प्रधान जिनियमों में पहला संशोधन भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III, खंड 4 में 16 जनवरी, 2006 को प्रकाशित 1
 - प्रधान विनियमों में दूसरा संशोधन भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III, खंड 4 में 21 फरवरी, 2006 को प्रकाशित ।
 - प्रधान विनियमों में तीसरा संशोधन भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III, खंड 4 में 3 नवम्बर, 2006 को प्रकाशित ।

DENTAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2012

No. DE-22-2012.—In exercise of the powers conferred by Section 10A of the Dentists (Amendment) Act, 1993 read with Section 20 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Dental Council of India, with the previous approval of the Central Government, further amends the Principal Regulations called "Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006" as under :—

- 1. Short title and commencement :
 - These Regulations may be called the Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) (4th Amendment) Regulations, 2006.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Clause (h) of sub-regulation (2) of Regulation 6 of the Principal Regulations 2006 is hereby substituted with the following :---

> "(h) the applicant shall attach its proposed dental college with a Government/Private Medical College approved/recognised by the Medical Council of India which is located at

the distance of 10 kms. by road from the proposed dental college and produce evidence of the said Medical College to the effect that it would facilitate training to the students of the proposed dental college as per syllabus/course curriculum prescribed in respective undergraduate and post graduate dental course regulations as amended from time to time :

Provided that not more than one dental college shall be attached with the medical college.

(hh) the existing dental college(s), established or permitted to increase the admission capacity in UG and PG dental courses or permitted for starting of higher courses, under the Principal Regulations, 2006, shall continue to be so governed by the provisions of the Principal Regulations, 2006, as amended from time to time:

Provided that, no permission for starting of MDS Course in the speciality of Oral and Maxillofacial Surgery shall be granted by the Central Government u/s 10A of Dentists (Amendment) Act, 1993 unless and until the desirous existing dental college is attached with a Government/Private Medical College approved/recognised by the Medical Council of India located at the distance of 10 kms. by road.

Col. (Retd.) Dr. S. K. OJHA, Officiating Secy.

[ADVT. III/4/Exty./98/12]

Foot Note:---1. The Principal Regulations, namely, the

Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, on 12-1-2006.

 The 1st Amendment to the Principal Regulations, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, on 16-1-2006.

3. The 2nd Amendment to the Principal Regulations, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, on 21-2-2006.

 The 3rd Amendment to the Principal Regulations, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, on 3-11-2006.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

2

Affidiaty of mealth & Family Weiraco **Dental Education Section**

n - Norreloo Mitor (1993) e a German engente og tanna

> Nirman Shavan, New Odd Dated the 7th August, 2008

Subject: - Enhancement of Inspection Fee charged by Dental Council of India

Sir,

To

The Secretary,

Dental Council of India, Kotla Road, New Delhi-110002

I am directed to refer to the Council's letter No.AE-118-2008/A-2824 dated 10.7.2008 on the subject cited above and to convey the approval of the Central Government to the revision of inspection fee to be charged prospectively by the Dental Council of India in respect of dental colleges in private sector, as follows

S.No.	Item/particulars (1)	Existing Inspection Fee	Revised inspection fee to be charged by the Dental Council of India. (3.)
1	Yearly Fee after recognition for recognized dental colleges	Rs.50000/-	No Change
2	Inspection Fee for	Renewal Rs.50000/-	Rs.1,00,000/
1	renewal/recognition/verification of	Recognition Rs.1.00,000	/- Rs.2,00,000/-
	commitance report of UG/PG level in addition to yearly fee	Compliance Rs.1,00,000 Verification	/- No Change
3	For fresh application for establishment of new dental college	Rs.3,00,000/-	Rs.5,00,000/-
4	For increase of BDS Seats at an existing dental college	Rs.2,00,000/-	Rs.3,00,000/-
5	For fresh application for starting of MDS Courses.	Rs.2,00,000/-	Rs.3,00,000/-
6	For fresh application for increase of MDS Seals	Rs.2,00,000/-	Rs.3,00,000/-

2. However, in view of severe resource crunch being faced by Government dental colleges in country and to facilitate them to submit more applications, all the Government Dental Colleges which are under the admistratative Control of the Central Government and State Government are fully exempted from payment of any fee for the purposes mentioned in column 3 of the table given in preceding paragraph of this letter.

3

This issue with the approval of competent authority.

Yours faithfully

(Raj Singli)

Under Secretary to the Government of India

TINE 1 11 dlo Veio 13004/99

REGD_NO. D. L.-33004/99

HRA AISUN The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

PART III-Section 4

मई दिल्ली, शुक्रवार, मार्थ 11, 2016/फाल्गुम 21, 1937

प्रापिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

T. 89] No. 89]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 11, 2016/ PHALGUNA 21, 1937 भारतीय दार्थ परिषद

अभिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2018

सं. डीई-218-2018.--दाविधिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 18वां) की धारा 20 के साथ पठित धारा 10ए हारा प्रदत्त रावितयों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दंत्य परिषद समय अनुसूची तैयार करने के लिए रिट याचिका संख्या 78/2015 के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 24.03.2015 के निदेश के अनुसरण में डीजीएचएस की सिफारिस पर केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से मुख्य विनियमों यथा 'भारतीय दंत्य परिषद (मए दंत कालेज खोलने, अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नए तथा उच्चतर पार्व्यक्रम शुरू करने तथा दंत कालेजों की प्रवेश क्षमता बढ़ाने) से संबंधित विनियम, 2008'' में निम्नानुसार संशोधन करती है:--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रवर्तनः---
 - (i) इन विनियमों को "भारतीय दत्य परिषद (नए दंत कालेज खोलने, अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नए तथा उच्यतर पाठ्यक्रम शुरू करने और दंत कालेजों की प्रवेश क्षमता) बढ़ाने से संबंधित (8वां संशोधन) विनियम, 2018" कहा जाएगा।
 - (ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकारान की तारीख से लागू होंगे।
- 2. मुख्य डीसीआई विनियम, 2016 के विनियम 4(2) में "भारतीय देत्य परिषद (नए दंत कालेज खोलने, अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के उच्चतर पाद्यक्रम शुरू करने और दंत कालेजों की प्रवेश क्षमता) बढ़ाने से संबंधित (प्रथम संशोधन) द्वारा जो 16.01.2006" क्रो सरकारी राजप्रत्र में अधिसुधित किया गया, द्वारा सन्तिविष्ट मौजूदा 'अनुसुधी' एतद्वद्वारा निकाल दी जाती है और निम्न मई अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है।

1214 GI/2016

(1)

THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY

(Part II) --- Sec. 41

.

"अनुसूची" [देखें विनियम 4(2)]

भए इंत कालेज खोलने/स्मातक-पूर्व सीटों की संख्या में बुद्धि/अनुमति के नवीकरण तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय दंख परिषद द्वारा आवेवन-पत्रों पर कार्रवाई के लिए समय-सूची

क्रम संख्या	कारेवाई का चरण	अतिम तारीख
1.	केन्द्रीय सरकार द्वारा आवेदत-पत्रौं की प्राप्ति	किसी भी वर्ष 15 जून और 7 जुलाई के बीच (दोनों दिवस शामिल)
2.	केन्द्रीय संरकार द्वारा भारतीय देत्य परिषद को आवेदन-पत्रों का अग्रेषण	31 जुलाई तक
3.	भारतीय देत्य परिषद द्वारा तकनीकी संवीक्षा, आकलन और सिफारिरों	31 दिसंबर तक
4.	केन्द्रीय सरकार द्वारा आवेदक से उत्तर/अनुपालन की प्राप्ति तथा तत्सबंधी वैयक्तिक सुनवाई के लिए, यदि कोई हो तो तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा मारतीय दत्य परिवद को अनुपालन का अग्रेषण	डीसीआई से सिफारिश की प्राप्ति से दों महीने तक सेकिन 31 जनवरी के बाद नहीं
5.	मारतीय दत्य परिषद की अतिम सिफारिरों	* 30 अप्रैल तक
6.	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमति का पत्र जारी करना	31 मई तक
7.	रेशणिक सत्र/अवधि की शुक्तआत	१ अगस्त
8.	अंतिम तारीख फिस तक किसी कारण उत्पन्न होने वाली आकस्मिक रिवितयों पर छात्रों की बाखिल किया जा सकता है/उनके द्वारा मैंक्षणिक सत्र आरंभ किया जा सकता है।	15 सितंबर तक

टिप्पणीः

- (1) अनुमति के नवीकरण के संबंध में आवेदक अपना आवेदन-पत्र 31 जुलाई तक भारतीय दत्य परिषद को भेजेंगे।
- (2) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपयुक्त समय-सूची, आवेवकों के किसी वर्ग अथवा श्रेणी के लिए संशोधित की जा सकती है, जिसके कारण सिखित रूप में रिकॉर्ड किए जाएँगे।

अव्ययन के उच्चतर पादयक्रम पुरू करने/स्नातकोतार सीटों की संख्या बढ़ाने/अनुमति का नवीकरण करने और केन्द्रीय सरकार तथा भारतीय दंख परिषद द्वारा आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई के लिए समय-सूची

क्रम संख्या	कार्रवाई का चरण	संतिम तारीख
1.	केन्द्रीय संरकार द्वारा आवेदन-पत्रौं की प्राप्ति	किसी भी वर्ष 15 मार्च और 7 अप्रैल के बीच (दोनों दिवस शामिल)
2.	केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय दरय परिषद को आहेदन-पत्रों का अग्रेषण	30 अप्रैल तक
3.	भारतीय दत्य परिषद द्वारा तकनीकी संवीक्षा, आकलन और सिफारिरों	15 अक्तूबर तक
2. 3. 4.	केन्द्रीय सरकार द्वारा आवेदक से छत्तर/अनुपालन की प्राप्ति तथा तत्संबंधी वैयक्तिक सुनवाई के लिए, यदि कोई हो तो तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय दत्य प्ररिवद को अनुपालन का अग्रेषण	डीसीआई से सिफारिश की प्राप्ति से दो महीने तक लेकिन 15 नवंबर के बाद नहीं
5.	मारतीय दत्य परिषद की अंतिम सिफारिश	31 जनवरी तक
6.	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमति का पत्र जारी करना	-28 फरवरी तक
7.	पैक्षणिक संत्र/अवधि की गुरूआत	1 मई
8.	अंतिम तारीख जिस तक किसी कारण उत्पन्न होने वाली आकस्मिक रिक्तियों पर छात्रों को दाखिल किया जा सकता है/उनके द्वारा शैक्षणिक सन्न आरंग किया जा सकता है।	31 मई तक

टिप्पणीः

- (1) अनुमति के मवीकरण के संबंध में आवेदक अपना आवेदन-पत्र 30 अप्रैल तक भारतीय दंत्य परिषद को भेजेंगे।
- (2) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपर्युक्त समय--सूची, आंवेदकों के किसी वर्ग अथवा श्रेणी के लिए संपोधित की जा सकती है, जिसके कारण लिखित रूप में रिकार्ड किए जाएंगे।

एम. एल. मीना, प्रभारी सचिव [विज्ञापन-III/4/असा/395(98)]

LADA DI PROS a L

and the state of the state of

नारत का भूजपत्र । असाधारण

पाव टिप्पणीः

ŧ

ъś

٤.

٦

 मुख्य विनियम यथा भारतीय देत्य परिषद (नए दत कालेज खोलने, अध्ययन अथवा प्रविक्षण के उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करने और दंत कालेजों की दाखिला क्षमता बढ़ाने) से संबंधित विनियम, 2008 जो भारत के असाधारण राजपन्न के भाग III, खंड 4 में 12.01.2008 को प्रकाशित किए गए थे।

and the and the second states and the second states of the second states and the second states at second states

- मुख्य विनियम का पहला संशोधन जो भारत के असाधारण राजपत्र के भाग III, खंड 4 में 16.01.2008 को प्रकाशित किए गए थे।
- मुख्य विभियम का दूसरा संशोधन जो भारत के असाधारण राजपत्र के भाग III, खंड 4 में 22.02.2008 को प्रकाशित किए गए थे।
- मुख्य विनियम का तीसरा संशोधन जो भारत के असाधारण राजपत्र के माग III, खंड 4 में 02.11.2008 को प्रकाशित किए गए थे।
- मुख्य विनियम का चौथा संशोधन जो भारत के असाधारण राजपत्र के भाग III, खंड 4 में 21.05.2012 को प्रकाशित किए गए थे।

DENTAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2016

No. DE-218-2016.—In exercise of the powers conferred by Section 10A read with Section 20 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Dental Council of India, on the recommendation of DGHS pursuant to the direction of the Hon'ble Supreme Court in its order dated 24.03.2015 in W.P. No. 76/2015 for framing Time Schedule, with the previous approval of the Central Government, hereby amend the Principal Regulations, namely, "Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges; Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006" as under:-

1. Short title and commencement:-

- (iii) These Regulations may be called the "Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New of Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) (8th Amendment) Regulations, 2016".
- (iv) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In regulation 4(2) of the principal DCI regulations 2006, the existing 'Schedule' inserted by "Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New of Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) (1" Amendment) Regulations, 2006", notified in the Official Gazette on 16.01.2006 is hereby deleted and substituted with the following new schedule:-

"SCHEDULE" [See Regulation 4(2)]

TIME SCHEDULE FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF NEW DENTAL COLLEGES / INCREASE OF UNDER GRADUATE SEATS / RENEWAL OF PERMISSION AND PROCESSING OF THE APPLICATIONS BY THE CENTRAL GOVERNMENT AND THE DENTAL COUNCIL OF INDIA.

SL No.	Stage of processing	Last Date
1.	Receipt of applications by the Central Government.	Between 15 th June to 7 th July (both
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	days inclusive) of any year
2.	Forwarding of applications by the Central Government to	By 31 st July
L	Dental Council of India.	

THE GAZETTE OF INDIA . BXTRAORDINARY

[PART II] SEC 21

> <u>, 1</u> ٢.

1,11112.122		புப்புக்கை தேவும் கூடை என்று பலிர்வைன் புருவர் பின்னது. பாட்டியுள்ள கான் கான்று ஆயியான சாயும் முட்டும் கிரின் ப பட பில் கான் கான்றுக்கு பைர்களும் குட்டுக்கிலில் கிரின்று கான் பில் கான்று கான்று கான்றுக்கு பில் கிரின் புப்பு எழுப்பில் பில் கான்று பில் பில் கிரின்று கிரின்று வில்லார் நில்லார் நில்லா கான்று பில் பில் பில் பில் பில் பில்
3	Technical Scrutiny, Assessment and Recommendationa by	By 31 st December
1	the Dental Council of India.	<u> </u>
4.	Receipt of reply/compliance from the applicant by the	Two months from receipt of
	Central Government and for personal hearing thereto, if any	recommendation from DCI but
	and forwarding of compliance by the Central Government to	not after 31 st January.
	the Dental Council of India.	
5.	Final recommendations by the Dental Council of India.	By 30 th April
6.	Issue of Letter of Permission by the Central Government.	By 31 [#] May
7.	Commencement of academic session/term	1 st of August
8.	Last date up to which students can be admitted/Joined	By 15 th September
	against stray vacancies arising due to any reason	•

Note:

į

- (1) In case of renewal permission, the applicants shall submit the application to the Dental Council of India by 31th July.
- The time schedule indicated above may be modified by the Central Government, for reasons to be (2) recorded in writing, in respect of any class or category of applications.

TIME SCHEDULE FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR OPENING OF HIGHER COURSES OF STUDY /INCREASE OF POST GRADUATE SEATS / RENEWAL OF PERMISSION AND PROCESSING OF THE APPLICATIONS BY THE CENTRAL GOVERNMENT AND THE DENTAL COUNCIL OF INDIA.

SI. No.	Stage of processing	Last Date
1.	Receipt of applications by the Central Government.	Between 15 th March to 7 th April (both days inclusive of any year)
2.	Forwarding of applications by the Central Government to Dental Council of India.	By 30 th April
3.	Technical Scrutiny, Assessment and Recommendations by the Dental Council of India.	By 15 th October
4.	Receipt of reply/ compliance from the applicant by the Central Government and for personal hearing thereto, if any and forwarding of compliance by the Central Government to the Dental Council of India	Two months from receipt of recommendation from DCI but not after 15 th November
5.	Final recommendations by the Dental Council of India.	By 31 [#] January
6. ·	Issue of Letter of Permission by the Central Government.	By 28 th February
7.	Commencement of academic session/term	1 [#] May
8.	Last date up to which students can be admitted/Joined against stray vacancies arising due to any reason	By 31 ^ª May

Note:

In case of renewal permission, the applicants shall submit the application to the Dental Council of India by 30th April. (1)

(2)

The time schedule indicated above may be modified by the Central Government, for reasons to be recorded in writing, in respect of any class or category of applications.

M. L. MEENA, Secy. I/c

[ADVT.III/4/Exty./395(98)]

Enders the enders of the second se

ચારત કરતાગથય ગામવારાય

Part Hills

- 1 The Principal Regulations, namely, the Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New of Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, on 12.01.2006.
- 2 The 1st Amendment of the Principal Regulations, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, on 16.01.2006.
- 3 The 2^{NJ} Amendment of the Principal Regulations, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, on 22.02.2006.
- 4 The 3rd Amendment of the Principal Regulations, published in Part 111, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, on 02.11.2006.
- 5. The 4th Amendment of the Principal Regulations, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, on 21.05.2012.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

T का

The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग III----खण्ड 4

PART III-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

 सं. 265]
 नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 5, 2017/आषाढ़ 14, 1939

 No. 265]
 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 5, 2017/ASADHA 14, 1939

भारतीय दन्त परिषद

अधिस्चना

नई दिल्ली, 4 जुलाई , 2017

सं. डीई—22—2017.— भारतीय दन्त परिषद, दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 की घारा 20 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में प्रदान की गई स्वीकृति और मौजूदा विनियम जोकि भारत सरकार के असाधारण गजट के भाग—III, खंड 4 में (नये दन्त कॉलेजो की स्थापना, दन्त कॉलेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नये अथवा उच्चत्तर पाठ्यक्रम खोलना और दन्त कॉलेजों में प्रवेश क्षमता को बढ़ाना) दिनांक 12.01.2006 को "भारतीय दन्त परिषद प्रसान विनियम 2006" अधिसूचित किये गये थे, में निम्नानुसार संभोधन करती है.—

1. संक्षिप्त भीर्शक और प्रारंभण:--

- (i) ये विनियम "भारतीय दन्त परिषद (नये दन्त कॉलेजो की स्थापना, दन्त कॉलेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नये अथवा उच्चत्तर पाठ्यक्रम खोलना और दन्त कॉलेजों में प्रवेश क्षमता को बढ़ाना) (नौवा संशोधन), विनियम 2017 कहा जायेगा"।
- (ii) ये सरकारी राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

"भारतीय दन्त परिषद (नये दन्त कॉलेजो की स्थापना, दन्त कॉलेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नये अथवा उच्चत्तर पाठ्यक्रम खोलना और दन्त कॉलेजों में प्रवेश क्षमता को बढ़ाना) विनियम, 2006" विनियम 11 के बाद एक नया विनियम 11 ए को सम्मिलित किया जायेगा।

प्रवेश रोकना

"11 ए स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर स्तर में स्टाफ, भवन, उपकरण, स्थान, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं के संदर्भ में ऐसे मान्यता प्राप्त संस्थान जो दन्त चिकित्सक अधिनियम 1948 और इसके अन्तर्गत बने नियम एवं विनियम जिनमें केन्द्र सरकार की सिफारिशों पर समय-समय पर किए गये संशोधनों द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं से परिषद को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो दन्त चिकित्सक अधिनियम की धारा 16 क के अन्तर्गत ऐसे स्नातक पूर्व और /अथवा स्नातकोत्तर स्तर के संस्थानों की दन्त योग्यता की मान्यता वापस ले ली जायेगी और केन्द्र सरकार ऐसे संस्थानों के विरुद्ध, ऐसे पाठ्यक्रमों के अध्ययन और प्रशिक्षण में प्रवेश रोकने सहित तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर जो उचित समझेगी इन पर कार्रवाई करेगी। ऐसे दन्त संस्थानों को सुनवाई का एक अवसर दिया जायेगा।

डॉ. सव्यसाची साहा, सचिव [विज्ञापन-III/4/असा./136/17]

4151 GV2017

2.

[PART III-SEC. 4]

पाद टिप्पणीः प्रधान विनियम, नामतया भारतीय दन्त परिषद (नये दन्त कॉलेजो की स्थापना, दन्त कॉलेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नये अथवा उच्चत्तर पाठ्यक्रम खोलना और दन्त कॉलेजों में प्रवेश क्षमता को बढ़ाना) विनियम, 2006 दिनांक 12 जनवरी, 2006 को भारत के राजपत्र के भाग—III खण्ड (4) में प्रकाशित एवं अधिसूचित किया गया था और जिसे बाद में अधिसूचना दिनांक 16.01.2006, 21.02.2006, 03.011.2006, 22.05.2012, 11.03.2016 के द्वारा संशोधित किया गया।

DENTAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2017

No. DE-22-2017 .-- In exercise of the powers conferred upon the Dental Council of India under Section 20 of the Dentists Act, 1948, the Dental Council of India, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Amendments to the existing Principal "Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New of Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006" published and notified in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 12.01.2016:-

- Short title and commencement:-
 - These Regulations may be called the "Dental Council of India (Establishment of New Dental (i) Colleges, Opening of New of Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) (9th Amendment) Regulations, 2017".
 - They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette. (iii)
- In the "Dental Council of India (Establishment of New Opening of New Dental College, Opening of New Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006", after Regulation 11, a new regulation 11 A shall be inserted:-

Stop of admissions

1.

2.

"11A When, upon report by the Executive Committee or the Visitor it appears to the Council that-

Any recognized Dental institution does not satisfy the requirement of the Council at undergraduate and/or postgraduate level in terms of staff, building, equipment, accommodation, training and other facilities as prescribed in the Dentist's Act, 1948 and Rules & Regulations made thereunder, as amended from time to time it may recommend to the Central Government for withdrawal of recognition of such dental qualification at undergraduate and/or postgraduate level under section 16 A of the Dentists Act and the Central Government may take appropriate action thereon as it may think fit in the facts and circumstances of each case including stoppage of admission at such course(s) of study and training, after an opportunity of hearing is granted to such dental institution".

Dr. SABYASACHI SAHA, Secy. [ADVT.-III/4/Exty/136/17]

ALOK KUMAR Digitally algreed by ALOK KUMAR

ALOK KUMAR

Foot Note: The Principal Regulations, namely, the Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New of Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006, were published in Part III, Section, Section (4) of the Gazette of India vide Notification dated the 12th January, 2006 and amended vide notification dated 16.01.2006, 21.02.2006, 03.11.2006, 22.05.2012, 11.03.2016.

> Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

JU3

æ

The Gazette of India असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III--खण्ड 4 PART III-Section 4

पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

मई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 5, 2017/आषाद, 14, 1939 सं. 266] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 5, 2017/ASADHA 14, 1939 No. 266]

भारतीय दन्त परिशद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. डीई—22—2017—भारतीय दन्त परिषद, दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में प्रदान की गई स्वीकृति और मौजूदा विनियम जोकि भारत सरकार के असाधारण गजट के भाग-III, खंड 4 में (नये दन्त कॉलेजो की स्थापना, दन्त कालेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नये अथवा उच्चत्तर पाठ्यक्रम खोलना और दन्त कॉलेजों में प्रवेश क्षमता को बढ़ाना) दिनांक 12.01.2006 को भारतीय दन्त परिषद प्रधान विनियम 2006" अधिसूचित किये गये थे, में निम्नानुसार संशोधन करती है:----

संक्षिप्त भीर्शक और प्रारंभणः--1.

- ये विनियम "भारतीय दन्त परिषद (नये दन्त कॉलेजो की स्थापना, दन्त कॉलेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के (i) नये अथवा उच्चत्तर पाठ्यक्रम खोलना और दन्त कॉलेजों में प्रवेश क्षमता को बढ़ाना) (ग्यारहवां संशोधन). विनियमन 2017 कहा जायेगा"।
- ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। (ii)

प्रमुख विनियम, 2006 के विनियम 6 के उप-विनियम (2) के खंड (ज) के मौजूदा परंतुक के पश्चात निम्नलिखित नए परंतुक निम्नानुसार शामिल किए जाएंगे :--

आगे यह प्रावधान किया जाता है कि यदि आवेदक प्रधान विनियम के अनुबंध-1 में उल्लिखित प्रोफाइल और समय-समय पर इसमें किए गए संशोधनों के अनुसार प्री-क्लीनिकल, पैरा-क्लीनिकल और संबदध चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा सहित आवश्यक मूलमूत सुविधाओं के साथ न्यूनतम 100 बिस्तरों वाले सामान्य अस्पताल का स्वामी हो और उसका प्रबंधन करता हो तो संबद्ध घिकित्सा कॉलेज से प्रस्तावित दन्त कॉलेज से केवल 30 कि.मी. तक की दूरी को छूट दी जाएगी।

3.

2

निम्नलिखित परंतुक के द्वारा प्रधान विनियम, 2006 कें विनियम 6 के उप-विनियम(2) के खंड (जज) के मौजूदा परंतुक को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :--

आगे यह प्रावधान किया जाता है कि दन्त चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10ए के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा ओरल और मैक्सिलोफेसियल सर्जरी की स्पेशियलिटी में एमडीएस पाठ्यक्रम की शुरूआत करने की अनुमती तब तक नहीं प्रदान की जाएगी जब तक इच्छुक विद्यमान दन्त कॉलेज सड़क द्वारा 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त सरकारी/निजी चिकित्सा कॉलेज के साथ संबद्धन न हो; किन्तु यदि आवेदक मूल विनियम के अनुबंध-1 में उल्लेखित प्रोफाइल और समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुसार प्री-क्लीनिकल, पैरा-क्लीनिकल और संबद्ध चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा सहित आवश्यक मूलमूत सुविधाओं के साथ (1)

4152 GV2017

¢.

न्यूनतम 100 बिस्तरों वाले सामान्य अस्पताल का स्वामी हो और उसका प्रबंधन करता हो तो संबधदक चिकित्सा कॉलेज से 10 कि.मी. की दूरी में सड़क मार्ग द्वारा 30 कि.मी. तक की दूरी को छूट प्रदान की जा सकती है।

> डॉ. सम्यसाची साहा, सचिव [विज्ञापन-III/4/असा./135/17]

पाद टिप्पणीः प्रधान विनियम, नामस्या, "डी-सी-आई- (नये दन्त कॉलेजो की स्थापना, दन्त कॉलेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नये अथवा उच्चत्तर पाठ्यक्रम खोलना और दन्त कॉलेजों में प्रवेश क्षमता को बढ़ाना) विनियम, 2006" दिनांक

12.01.2006 की अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार के असाधारण राजपत्र के भाग—III के खंड--4 में प्रकाशित और दिनांक 16.01.2006, 21.02.2006, 02.02.2006, 03.11.2006, 22.05.2012, 11.03.2016 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किये गये थे।

DENTAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

No. DE-22-2017.— In exercise of the powers conferred upon the Dental Council of India under Section 20 of the Dentists Act, 1948, the Dental Council of India, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Amendment to the existing Principle "DCI (Establishment of New Opening of New Dental College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006", published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 12.01.2006 namely:—

1. Short title and Commencement.----

- (i) These Regulations may be called the Draft "Dental Council of India (Establishment of New Opening of New Dental College, Opening of New or Higher Course of Study or Trainingand Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) (11th Amendment) Regulations, 2017."
- (ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in theOfficial Gazette.

2. The following new proviso, after the existing proviso of clause (h) in sub-regulations (2) of Regulations 6 of the principal Regulations, 2006, be inserted as under:-

"Provided that the distance of the attached medical college shall be relaxable only upto 30 kms, if the applicant owns and manages a General Hospital of not less than 100 beds with necessary infrastructure facilities including teaching pre-clinical, para-clinical and allied medical sciences, as per profile prescribed at annexure-I of the principal regulations and amended from time to time, in the campus of the proposed dental college.

3. The following proviso be substituted with the existing proviso of clause (hh) in sub-regulations (2) of Regulations 6 of the principle Regulations, 2006, as under:-

"Provided that, no permission for starting of MDS Course in the speciality of Oral and Maxillofacial Surgery shall be granted by the Central Government u/s 10A of Dentists (Amendment) Act, 1993 unless and until the desirous existing dental college is attached with a Government/Private Medical college approved/recognized by the Medical Council of India located at the distance of 10 kms. by road but the distance of 10 kms. at the attached medical college shall be relaxable up to 30 kms. by road, if the applicant owns and manages a General Hospital of not less than 100 beds with necessary infrastructure facilities including teaching pre-clinical, para-clinical and allied medical sciences, as per profile prescribed at annexure-I of the principal regulations and amended from time to time, in the campus of the proposed dental college."

> DR. SABYASACHI SAHA, Secy. [ADVT.-III/4/Exty/135/1]

[भाग III-खण्ड 4]

3

भारत का राजपत्र : असाधारण

Foot Note : The Principal Regulation namely, the "DCI (Establishment of New Opening of New Dental College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006" were published in Part III, Section, Section (4) of the Gazette of India, Extraordinary, on vide Notification dated the 12th January, 2006 and amended vide notification dated 16.01.2006, 21.02.2006, 03.11.2006, 22.05.2012, 11.03.2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-1 10054.

ALOK KUMAR Date 2017.07,10 11:34:40 +05'30"

3

REGD. NO. D. L.-33004/99

1018

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 392] नई दिल्सी, बुधवार, अक्तूबर 11, 2017/आश्विन 19, 1939 No. 392] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 11, 2017/ASVINA 19, 1939

भारतीय दन्त परिषद अम्निसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2017 सं. डीई—22(12)—2017.—भारतीय दन्त परिषद, दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 के अन्तर्गत प्रदत्त 17में का प्रयोग करने हुए तथा लेन्द्र सरकार दारा पूर्व में प्रदास की गई स्वीकृति और मौजदा विनियम जोकि भारत सरकार

षक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में प्रदाम की गई स्वीकृति और मौजूदा विनियम जोकि भारत सरकार के असाधारण गजट के भाग—III, खण्ड—4 में (नये दस्त कॉलेजों की स्थापना, दन्त कॉलेजों में अध्ययन अथवा प्रविक्षण के नये अथवा उच्चत्तर पाठ्यक्रम खोलना और दन्त कॉलेजों में प्रवेश क्षमता को बढ़ाना) दिनांक 12.01.2006 को भारतीय दन्त परिषद प्रधान विनियम 2006" अधिसूचित किये गये थे, में निष्मानुसार संबोधन करती है:—

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारमणः

(i) ये विनियम "भारतीय दन्त परिषद (नये दन्त कॉलेजों की स्थापना, दन्त कॉलेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नये अथवा उच्चत्तर पाठ्यक्रम खोलना और दन्त कॉलेजों में प्रवेश क्षमता को बढ़ाना) (12वाँ संशोधन) विनियम-2017" कहा जायेगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय दन्त परिषद (नये दन्त कॉलेजों की स्थापना, दन्त कॉलेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नये अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम खोलना और दन्त कॉलेजों में प्रवेश क्षमता को बढ़ाना) विनियम 2006, जोकि भारत सरकार के असाधारण गजट के भाग—III के खण्ड—4 में दिनांक 12.01.2016 को प्रकाशित हुन्ने थे, में से निम्नलिखित अर्हता कसौटी के बिन्दु 13बी जैसा कि उसमें निहित है, को हटाया जाता है।

"दन्त कॉलेज में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण का नया अथवा उच्चत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिये वांछनीयता और व्यवहार्यता के संबंध में प्रमाण—पत्र कॉलेज द्वारा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, से प्राप्त कर लिया है।"

3. भारतीय दन्त परिषद (नये दन्त कॉलेजों की स्थापना, दन्त कॉलेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नये अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम खोलमा और दन्त कॉलेजों में प्रवेश क्षमता को बढ़ाना) विनियम, 2006 में विनियम 19 खण्ड (सी) के मौजूदा परन्तुक को मीचे दिये परन्तुक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :--

6145 GI/2017

(1)

[PART III—SEC. 4]

"(सी) आवेदक ने दन्त कॉलेज में प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिये वांछनीयता और व्यवहार्यता के संबंध में प्रमाणपत्र राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, प्राप्त कर लिया है; स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिये इसकी आवश्यकता नहीं है।"

डॉ. सब्यसाची साहा, सचिव

[विज्ञापन—III / 4 / असा. / 263 / 17]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियम, नामश्या, "डी.सी.आई." (नये दन्त कॉलेजों की स्थापना, दन्त कॉलेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नग्ने अधवा उच्चत्तर पाठ्यक्रम खोलना और दन्त कॉलेजों में प्रवेश क्षमता को बढ़ाना) विनियम, 2006" दिमांक 12.01.2006 की अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार के असाधारण राजपत्र के भाग–III के खण्ड–4 में प्रकाशित और दिनांक 16.01.2006, 21.02.2006, 03.11.2006, 22.05.2012, 11.03.2016, 05.07.2017, 05.07.2017 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किये गये थे।

DENTAL COUNCIL OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2017

No. DE-22(12)-2017.— In exercise of the powers conferred upon the Dental Council of India under Section 20 of the Dentists Act, 1948, the Dental Council of India, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Amendment to the existing Principle "DCI (Establishment of New Opening of New Dental College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006", published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 12.01.2006 namely: —

1. Short title and Commencement: —

(i) These Regulations may be called the "Dental Council of India (Establishment of New Opening of New Dental College, Opening of New or Higher Course of Study or Capacity in Dental Colleges) (12th Amendment) Regulations, 2017."

(ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In "DCI (Establishment of New Opening of New Dental College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006", published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 12.01.2006", the following shall be deleted against point 13 (b) of the Qualifying Criteria as indicated therein:-

"the certificate regarding desirability and feasibility for starting a new or higher course of study or training at the dental college has been obtained by the college from the State Government or the Union Territory administration, as the case may be;"

3. In the "Dental Council of India (Establishment of New Opening of New Dental College, Opening of New Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006", the existing proviso of regulation 19 clause (c) be substituted with the following proviso, as under: —

"(c) the certificate regarding feasibility and desirability for increasing admission capacity at the dental college has been obtained by the applicant from the State Government or the Union territory administration, as the case may be; the same is not required for increasing admission capacity in post-graduate course/s"


Dr. SABYASACHI SAHA, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./263/17]

Foot Note: The Principle Regulation namely, the "DCI (Establishment of New Opening of New Dental College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006" were published in Part III, Section, Section (4) of the Gazette of India, Extraordinary, on vide Notification dated the 12th January, 2006 and amended vide notification dated 16.01.2006, 21.02.2006, 03.11.2006, 22.05.2012, 11.03.2016, 05.07.2017, 05.07.2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK Digitally signed by ALOK KUMAR KUMAR Date: 2017.10.13 12:56:00 +05'30'



2